उन्नति

विचार

वर्ष : 10 अंक : 2 अप्रैल-जून, 2005

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
रोजगार गारंटी द्वारा काम का अधिकार

नज़रिया
क्या रोजगार गारंटी सचमुच प्रभावी सिद्ध होगा 11

आपके लिए
विकलांग महिलाओं के संबंध में दो अध्ययन 14

अपनी बात 17
महिलाओं की अपमृत्यु में कमी : 'अवाज' के प्रयासों की सफलता

पत्थर खोदने के काम के खिलाफ ग्रामजनों के आंदोलन की जीत 19

गतिविधियाँ 23

संदर्भ सामग्री 27

अपने बारे में 30

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25 रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

रोजगार गारंटी : साकार करने योग्य सपना

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का मसौदा बना कर देश के ग्रामीण अंचलों में रोजगार सर्जन द्वारा गरीबी दूर करने का इरादा किया है। देश में पहली बार कानूनी दृष्टि से रोजगार गारंटी सृजित करके काम के अधिकार को कानूनी दर्जा देने का प्रशंसनीय प्रयास इस तरह से हो रहा है। गरीबी का एक कारण गरीबों को लाभदायी रोजगार न मिल पाना भी है। अतः गरीबों को रोजगार देकर उन्हें गरीबी-रेखा से ऊपर लाने का प्रयत्न हो, यह जरूरी है। रोजगार सर्जन हेतु केंद्र व राज्य सरकारें पहले अनेक कार्यक्रम चला चुकी हैं, जिनमें करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद वे आंशिक रूप से ही लाभदायी रहे हैं। अतः उन कार्यक्रमों की कमियां नए कानून के अधीन चलने वाले रोजगार सर्जन कार्यक्रम में न रहें, ऐसी अपेक्षा स्वभाविक रूप से खड़ी होती है। प्रस्तावित कानून की कई व्यवस्थाएं इन अपेक्षाओं को अवश्य पूरा करती हैं; परंतु कई व्यवस्थाओं और उनके क्रियान्वयन के मामले में संदेह उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। कानून की व्यवस्थाओं के विषय में लोग जानकार हों और क्रियान्वयन हेतु जागरूक हों तभी ग्रामीण अंचलों में गरीबी दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठ पायेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें प्रस्तावित कानून को एक अन्य कार्यक्रम या अन्य योजना न समझें और इसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संसाधन प्रदान करें व निष्ठा व्यक्त करें, यह जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी यह बात है कि गैर-सरकारी संगठन रोजगार के अधिकार को वास्तविक रूप से प्रस्थापित करने के लिए इसमें लोगों को शामिल करने व समग्र कार्यक्रम पर देखरेख करने की व्यवस्था उत्पन्न करें। फिर, पंचायतें रोजगार के अधिकार को वास्तविक रूप से क्रियान्वित करने में मजबूत हों, ऐसे प्रयास गैर-सरकारी संगठनों को सघन बनाने पड़ेंगे। सहभागिता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व उत्पन्न होंगे तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा और गरीबी भी दूर होगी। वैसे, यह काम जितना सोचते हैं, उतना आसान नहीं है। भारतीय समाज के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक तंत्र कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में अनेक अवरोध डालेंगे ही। इन अवरोधों को सभी स्तरों पर अनिवार्यतः दूर करना पड़ेगा।

'काम के बदले अनाज' का राष्ट्रीय कार्यक्रम नवंबर २००४ में शुरू हुआ। देश के सबसे गरीब १५० जिलों में चलने वाले इस कार्यक्रम के अनुभव राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के अधीन चलने वाले रोजगार सर्जन कार्यक्रम हेतु आधार बने, ऐसी दृष्टि से इस कार्यक्रम की शुरूआत हुई थी। परंतु इस प्रयोग के प्राथमिक अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि इस समग्र कार्यक्रम के पीछे खर्च की जाने वाली राशि अधिकांशतया गरीबों तक पहुंचती ही नहीं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यह जिलों का अध्ययन यह दर्शाता है कि ज्यादातर रोजगार प्राप्त करने वाले को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता, पर्याप्त रोजगार नहीं दिया जाता और कार्यक्रम के झूठे दस्तावेज बनाकर प्रभावशाली लोग लूट मचाते हैं। परंतु यह अध्ययन यह भी बताता है कि राजस्थान में यह कार्यक्रम अधिकांशतः सफल रहा है। इसका कारण यह है कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता रखने की और उत्तरदायित्व निभाने व उत्पन्न करने की जो व्यवस्थाएं की गईं, उनका सफल क्रियान्वयन राजस्थान में अच्छी तरह से सम्पन्न हुआ है। इसका अर्थ यह है कि कार्यक्रम अच्छे ढंग से चल सकता है और वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। अतः इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर देखरेख रखने की नागरिक जिम्मेदारी उत्पन्न होगी तो इसकी सम्भावना निश्चित रूप से बढ़ेगी।

रोजगार गारंटी द्वारा काम का अधिकार

भारत सरकार द्वारा रोजगार गारंटी कानून लाने का विचार चल रहा है। यह कानून वास्तव में तो काम का अधिकार खड़ा करेगा। इस कानून के अमल को प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर चिंतन के लिए जयपुर में एक विमर्श सभा का आयोजन गैर-सरकारी संगठनों हेतु किया गया था। इस सभा में जो चर्चा हुई उसके आधार पर जयपुर की इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमैंट स्टडीज के **श्री प्रदीप भार्गव, सुश्री चंद्रिका गुप्ता** और **सुश्री सारथि आचार्य** द्वारा यह विस्तृत आलेख लिखा गया है।

प्रस्तावना

उच्च वृद्धि दर, विस्तृत होते बाजार, विदेशी विनिमय भंडारों की सानुकूल स्थिति और अनाज के पर्याप्त भंडार जैसी वर्तमान स्थिति में भारतीय अर्थतंत्र के उज्जवल भविष्य के विषय में उल्लासमय वातावरण विद्यमान है। परंतु विगत दो दशकों के दौरान हुई वृद्धि से किसे लाभ मिला है? जो लोग ग्रामीण अंचलों में रहते हैं और भीतरी क्षेत्रों में जीवन बिताते हैं, उनको लाभ मिला ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उनकी अस्तित्व की लड़ाई आज भी गंभीर है। गरीबी की व्याख्या किस तरह की जाती है, यह जरूरी नहीं है। लगभग २० करोड़ लोग तो गरीब हैं ही। स्पष्ट है कि आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया ने बड़े शहरों के बाहर रोजगार निर्मित करने की क्षमता बहुत कम दर्शाई है। इसका कारण यह आर्थिक वृद्धि का स्थान और इसकी रचना है। अतः अधिक रोजगार सर्जित करने वाली आर्थिक वृद्धि तैयार करने की आवश्यकता है।

भारत में आर्थिक वृद्धि गरीबों को अत्यंत धीमी गति से लाभ देती है, इस वास्तविकता को १९७० के दशक से पहचाना गया है। उसके बाद गरीबी उन्मूलन और रोजगार सर्जन के अनेक कार्यक्रम अमल में आये हैं, पर उनका कुल प्रभाव कितना रहा, इस विषय में शंकाएं व्याप्त हैं। रोजगार सर्जन के कार्यक्रम द्वारा काम तलाशने वाले व्यक्ति को वर्ष में एक या दो सप्ताह से अधिक दिनों के लिए काम नहीं मिल सका। उससे अर्ध बेकारी की मात्रा घटती है पर उससे वास्तव में गरीबी दूर नहीं होती। फिर, ऐसे कार्यक्रमों में जो रोजगार प्रदान किया जाता है वह मजदूरों के गौरवपूर्ण काम के अधिकार के रूप में प्रदान नहीं किया जाता, वरन् सत्ताधिकारी मेहरबानी के रूप में प्रदान करते हैं। अतः यह महत्वपूर्ण है कि काम का अधिकार हो, याने काम का अधिकार मुख्य विषय बनना चाहिए। ऐसा अधिकार लोगों के मात्र सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए ही महत्व का है, ऐसा नहीं, वरन् वह वंचितों और आवाज-विहीन लोगों हेतु राजनीतिक स्थान भी निर्मित करता है।

रोजगार सर्जन में निवेश से ग्रामीण क्षेत्रों में मिल्कियत खड़ी हो सकती है। उसका स्वामित्व फिर स्थानीय लोगों के पास हो सकता हैं। उसका उपयोग वे स्वयं अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। यह मिल्कियत विकास की किसी भी प्रक्रिया को चिरंतन बनाती है और आर्थिक वृद्धि का फिर से आबंटन करती है। ऐसी प्रक्रिया को व्यवहार में लाने के लिए श्रमिक समुदाय के जो समीप हो, ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है। वहां निर्णय प्रक्रिया में उनकी सीधी सहभागिता की संभावनाएं बढ़ जाती है। मजबूत और उत्तम रूप से काम करने वाली पंचायतें ऐसी संस्थागत बुनियाद बनाने में महत्व की भूमिका अदा कर सकती हैं।

लाखों लोगों के लिए रोजगार जुटाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर बड़े हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। श्रमिक संगठन वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार गारंटी कानून की मांग करते रहे हैं। यू.पी.ए. सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम (सी.एम.पी.) ने ग्रामीण व शहरी गरीबों को १०० दिनों का रोजगार प्रदान करने का वचन दिया है। यह कानून कोई पूर्णतया नया नहीं है। महाराष्ट्र में १९७७ से ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलता है और रोजगार सर्जन की ऐसी बहुत सी योजनाएं पिछले दो दशकों से चलती हैं। परंतु सरकार की संपूर्ण ग्रामीण योजना या उसके जैसी ही अन्य योजनाओं जैसे वर्तमान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों की अपेक्षा रोजगार गारंटी

योजना किस तरह होगी? प्रशासन के लिए सूचितार्थ कैसे होंगे? क्या वह वित्तीय रूप से स्थायी होगी? यह सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं और पिछले काफी समय से इनके बारे में चर्चाएं चलती आई हैं।

जयपुर की 'इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमैंट स्टडीज' द्वारा २२-२३ नवबंर २००४ के दौरान रोजगार गारंटी कानून के बारे में एक राष्ट्रीय विमर्श सभा आयोजित की गई थी। रोजगार की गारंटी को सार्वजनिक चर्चा का मुद्दा बनाने का उनका उद्देश्य था। विद्वद्जनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नीति निर्धारकों ने कानून के मसौदे के संबंध में अपने मंतव्य प्रस्तुत किये थे, उनमें रहने वाली कमियों और आवश्यक परिवर्तनों के बारे में उसमें चर्चा हुई थी।

कार्यक्रम और कानून के मध्य का अंतर

यह कानून रोजगार की कानूनी गारंटी देता है और राज्यदायित्व पूरा करे इसे कानूनी रूप से अनिवार्य बनाता है। वह इस तरह राज्य के पक्ष में उत्तरदायित्व पूरा करता है और श्रमिकों को सौदा शक्ति भी प्रदान करता है। फिर, योजनाओं का जीवन काल छोटा होता है, जबकि कानून तो लंबे समय तक बना रहता है। समय के साथ श्रमिक अपने अधिकार की रक्षा करना सीख जाता है। कानून समता और सार्वत्रिक आवरण प्रदान करता है। उसमें चयन के मानदंड अंधाधुंध तय नहीं होते और लक्ष्यांक भी तय नहीं होते। उसमें सीमित अवसरों हेतु स्पर्धा नहीं होती और गारंटी वाला रोजगार प्रदान किया जाता है। फिस उसमें पूर्व सूचनीयता होती है, याने कि श्रमिकों को मंदी के समय भी रोजगार प्रदान किया जाता है। गरीबी और भुखमरी दूर करने में, गांवों से शहरों में होने वाले स्थलांतरण को रोकने में, महिलाओं को सक्षम बनाने में, उपयोगी उत्पादक मिल्कियत खड़ी करने में और ग्रामीण समाज में गरीबों को सक्षम बनाने में कानून बहुत काम दे सकता है। यही सब फिर समतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था की तरफ ले जाता है। देश के भीतरी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण मजदूरों की हलचल में यह कानून नये प्राण फूंक सकता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का मसौदा

इस कानूनी मसौदे की मुख्य व्यवस्था यह है कि आकस्मिक शारीरिक मजदूरी करने के इच्छुक ग्रामीण अंचलों के तमाम प्रौढ़

गुजरात में रोजगार अधिकार यात्रा

रोजगार गारंटी कानून के समर्थन में देश भर में रोजगार अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया था। भारत के १० राज्यों में सबसे गरीब १०० जिलों में यह यात्रा घूमी थी। गुजरात में १८ मई को खेड़ब्रह्मा, १९ मई को गोधरा और २० मई को डेडियापाड़ा में यह यात्रा घूमी थी। इससे संबंधित एक आयोजन बैठक १२ मई को मिली थी। इस बैठक में 'प्रगति प्रयास केंद्र' और 'आनंदी' के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

गुजरात में यह यात्रा डूंगरपुर से प्रविष्ट हुई थी। उसका सर्वप्रथम कार्यक्रम खेड़ब्रह्मा में आयोजित किया गया था। बनासकांठा दलित संगठन, आदिवासी सर्वांगी विकास संघ और बिहेवियेरल साइंस सेंटर (बी.एस.सी.) ने इस यात्रा के समन्वय का दायित्व संभाला था। १९ मई को यात्रा गोधरा पहुंची थी। वहां 'प्रगति प्रयास केंद्र', 'घड़तर' और 'आनंदी' ने समन्वय कार्य संभाला था। वहां एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी और अकाल ग्रसित क्षेत्रों में हुये कामों संबंधी अनुभवों का आदान-प्रदान किया गया था। फिर यह यात्रा राजपीपला गई थी।

२० मई को यात्रा डेडियापाड़ा पहुंची थी। वहां 'राजपीपला सोशियल सर्विस सोसायटी', 'आर्य' और 'नेशनल एलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट' - गुजरात द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

यात्रा के दौरान रोजगार अधिकार और काम के अधिकार के बारे में जानकारी देने वाले पैम्फलेट वितरित किये गए थे। गोधरा की सभा में लगभग १००० से अधिक लोग उपस्थित थे। लोगों ने गरीबी, जीवन निर्वाह, स्थलांतरण, काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अनुभव जैसे मुद्दों पर बात की थी। काम के अधिकार के बारे में एक नाटक 'देवगढ महिला संगठन' के एक दल ने मंचित किया था। उसमें स्थलांतरण से संबंधित मुद्दों को भी समेटा गया था।

नर्मदा जिले के सागबारा में 'पर्यावरण संघर्ष समिति' द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था। उसमें लगभग ५००० से अधिक लोग उपस्थित थे। 'हर हाथ को काम दो, काम के पूरे दाम दो' नारों के साथ पूर्व में लोगों ने पूरे नगर में रैली निकाली थी। फिर तीन घंटों तक चलने वाली सभा को अग्रणी कार्यकर्ताओं ने संबंधित किया था।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक - २००४ : कुछेक महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ

उद्देश्य

(१) भारतीय संविधान की धारा-४१ के अनुसार काम के अधिकार की रक्षा राज्य का दायित्व है, अतः उस संबंध में प्रभावी व्यवस्था करना।

(२) काम के अधिकार की रक्षा के साथ-साथ जीवन के अधिकार, अन्न के अधिकार और शिक्षा के अधिकार जैसे संवैधानिक अधिकारों का भोग करना भी अनिवार्य है।

(३) ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वासपूर्वक रोजगार प्रदान करके उसे काम के अधिकार की प्राप्ति की तरफ एक बड़ा कदम बनाना।

(४) विश्वसनीय रोजगार के कार्यक्रम द्वारा ढांचागत सुविधाओं के विकास, सामाजिक समता, पर्यावरण - संरक्षण और महिलाओं की अधिकारिता सिद्ध करना।

(५) विश्वसनीय रोजगार की व्यवस्था हेतु विकेन्द्रित अभिगम अपनाकर विकास के आयोजन और स्थानीय शासन में लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहन देना।

कानून का क्रियान्वयन

(१) जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में यह लागू होगा।

(२) केन्द्र सरकार शासकीय राजपत्र में जिस तिथि को विज्ञापन दे, उसी तिथि से इसका क्रियान्वयन होगा।

(३) अलग-अलग राज्यों के लिए और राज्यों के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए क्रियान्वयन की अलग-अलग तिथियां तय हो सकेंगी।

(४) परंतु भारत के ग्रामीण अंचलों में यह कानून पांच वर्षों में क्रियान्वित किया जाएगा।

(५) शुरूआत में यह सबसे गरीब जिलों में अमल में आयेगा और फिर धीमे-धीमे पांच वर्ष में समग्र भारत में लागू होगा।

रोजगार की गारंटी

(१) ग्रामीण अंचलों में रहने वाले प्रत्येक परिवार में से कम से कम एक प्रौढ़ व्यक्ति को वर्ष में १०० दिनों का न्यूनतम वेतन व गारंटी के साथ रोजगार पाने का अधिकार रहेगा।

(२) किये गये काम के वेतन का भुगतान सात दिनों में किया जायेगा।

(३) काम आकस्मिक शारीरिक मजदूरी होगा।

(४) केन्द्र सरकार रोजगार के दिनों की संख्या १०० से बढ़ा सकती है, वह प्रत्येक प्रौढ़ वय के व्यक्ति हेतु और शहरी क्षेत्रों में भी लागू हो सकता है। फिर राज्य के कई या सारे क्षेत्रों हेतु भी वह लागू हो सकता है।

(५) जिस राज्य में रोजगार गारंटी कानून होगा, वहां व्यक्ति को उस कानून या इस कानून के अधीन रोजगार प्राप्ति हेतु चयन करने का अधिकार होगा।

कार्यक्रम का क्रियान्वयन कौन करेगा ?

(१) जिले में कार्यक्रम के अमल हेतु कलक्टर जिम्मेदार रहेंगे। शेष सभी अधिकारी अंततः कलक्टर के प्रति जिम्मेदार रहेंगे।

(२) कलक्टर अंततः जिला पंचायत के प्रति जिम्मेदार रहेंगे।

(३) प्रत्येक तहसील में कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। वे जिला कलक्टर के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(४) कार्यक्रम अधिकारी के अधिकार व कर्तव्य ग्राम पंचायत को सौंप सकेंगे।

(५) आकस्मिक काम की मांग का अनुमान लगाने हेतु जिले का श्रम बजट तैयार किया जाए। उसके आधार पर कामों का आयोजन हो।

कार्यक्रम के लक्षण

(१) इस कानून के अमल की शुरूआत से छः माह में राज्य सरकार रोजगार गारंटी कार्यक्रम बनायेगी।

(२) कार्यक्रम के नियम शासकीय विज्ञापन में प्रकाशित किये जायेंगे। उनका सारांश प्रादेशिक व स्थानीय अखबारों में या अन्य तरीके से प्रकाशित किया जायेगा।

(३) कार्यक्रम के अनुसार मात्र उत्पादक काम ही हाथ में लिये जायेंगे। इन कामों की सूची राज्य की परिषद तय करेगी।

(४) आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय लाभों के आधार पर तथा सामाजिक समानता में उनके योगदान व स्थायी सम्पति का सर्जन करने की उनकी क्षमता के आधार पर कामों का चयन किया जाएगा।

(५) ये काम ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ में लिये जायेंगे। वैसे कई काम अन्य क्षेत्रों में भी हाथ में लिये जा सकेंगे।

(६) अकुशल मजदूरों का कौशल बढ़ाने का प्रशिक्षण संभव होगा तब तक दिया जायेगा।

(७) मजदूरों को न्यूनतम वेतन से कम वेतन न दिया जाए।
(८) मजदूर को रोजाना ७ घंटे काम करना होगा।
(९) कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत काम मांगने वाले को चाहे जो काम सौंप सकती है।
(१०) ग्राम पंचायतें जो परियोजनाएं हाथ में लेंगी उनमें ठेकेदारों का उपयोग न किया जाए।
(११) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं में भी ठेकेदारों का उपयोग न हो, सिवाय इसके कि अमुक प्रकार के कामों हेतु नियमों में छूट दी गई हो।
(१२) ठेकेदारों का उपयोग किया जाए तब भी मजदूरों को वेतन का भुगतान सरकार सीधे करेगी।

रोजगार गारंटी की शर्तें

(१) ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले और न्यूनतम वेतन पर आकस्मिक शारीरिक मजदूरी का काम करने को तैयार प्रौढ़ वय के व्यक्ति को अपना नाम पता ग्राम पंचायत में दर्ज कराना होगा।
(२) पंजीकरण के बाद उसे तारीख व फोटो लगा कार्ड दिया जाएगा।
(३) यह पंजीकरण पांच साल के लिए होगा। फिर समय-समय पर उसे नया किया जा सकेगा।
(४) एक वित्तीय वर्ष में १०० दिनों तक रोजगार पाने का व्यक्ति को अधिकार रहेगा।
(५) पंजीकरण के बाद १५ दिनों में रोजगार प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारी की होगी।
(६) व्यक्ति को कितने दिन रोजगार चाहिए, यह पंजीकरण पत्र में प्रकट करे। पर उसे लगातार कम से कम १४ दिन के काम की अर्जी करनी चाहिए।
(७) अर्जी के दिनों या रोजगार के दिनों पर कोई मर्यादा नहीं।
(८) ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी अर्जी की प्राप्ति देंगे। अर्जी एक समूह में भी की जा सकेगी।
(९) जिनको काम दिया जाएगा, उनके नाम ग्राम पंचायत में सार्वजनिक नोटिस में लिखे जाएंगे। संबंधित व्यक्ति को लिखित जानकारी दी जाएगी।
(१०) यथा संभव प्रार्थी को उसके गांव के ५ कि.मी. के घेरे में काम दिया जायेगा।
(११) यदि ५ कि.मी. से दूर काम दिया जायेगा तो वह तहसील में होगा। उसे परिवहन भत्ता व दैनिक निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
(१२) यदि १५ दिनों में प्रार्थी को काम न मिले तो उसे बेकारी भत्ता दिया जाएगा।
(१३) बेकारी भत्ता खेत मजदूर के न्यूनतम वेतन के एक तिहाई से कम नहीं होगा।
(१४) जिस तिथि से रोजगार चाहिए, उसे तिथि से पहले अर्जी दी जा सकती है। यदि उस तिथि से १५ दिनों में काम न दिया जाए तो उस तिथि से उसे बेकारी भत्ता दिया जाएगा।
(१५) एक ही व्यक्ति अलग-अलग तिथियों से रोजगार मांगने की अनेक अर्जियां दे सकेगा।
(१६) ग्राम पंचायत मजदूर को पहचान पत्र या पास बुक देगा।

कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत के कार्य

(१) रोजगार की मांग और परियोजनाओं में से पैदा होने वाले रोजगार के अवसरों के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी की रहेगी। इन कामों में ग्राम पंचायतों द्वारा हाथ में लिये गए कामों का भी समावेश होगा।
(२) ग्राम पंचायतों और क्रियान्वयन करने वाली अन्य संस्थाओं द्वारा जो परियोजनाएं तहसील में हाथ में ली जाएंगी, उनकी देखरेख का जिम्मा कार्यक्रम अधिकारी का रहेगा।
(३) बेकारी भत्ता मंजूर करने और उसका भुगतान करने की जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी की रहेगी।
(४) ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की अनुशंसाओं के अनुसार कार्यक्रम के अधीन परियोजनाओं का आयोजन करने का जिम्मा निभाना होगा।
(५) ग्राम पंचायतों को इन परियोजनाओं संबंधी अर्जियों को कार्यक्रम अधिकारी के पास भेजना होगा। कार्यक्रम अधिकारी इन अर्जियों की जांच करेंगे और उन्हें प्राथमिक मंजूरी देंगे।
(७) कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायत को स्वीकृत कामों हेतु उपस्थिति पत्रक देगा। ग्राम पंचायत वासियों हेतु अन्यत्र काम के अवसर कहां-कहां हैं, इसकी सूची भी कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायत को कार्यक्रम अधिकारी देगा।
(८) ग्राम पंचायत आवेदकों में रोजगार अवसरों का आवंटन करेगी और उन्हें काम पर बुलायेगी।
(९) राज्य सरकार इस कार्यक्रम के लिए ग्राम पंचायत को पर्याप्त कर्मचारी और टेक्नीकल सहायता प्रदान करेगी।

संकलन : हेमंतकुमार शाह

उम्र वालों को रोजगार की गारंटी देता है। इसके अलावा, यह भी कहता है कि वह प्रार्थी को घर से ५ कि.मी. के घेरे में ही १५ दिनों में दिया जाएगा। मजदूरों को राज्य में कृषि मजदूरों को जो न्यूनतम वेतन दिया जाता है, वह प्राप्त करने का अधिकार होगा। फिर, प्रार्थी को यदि १५ दिनों में रोजगार नहीं दिया गया तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस कानून के अधीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया जाएगा और उसके द्वारा तमाम प्रार्थियों को रोजगार दिया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार मात्र उत्पादक कार्य ही हाथ में लिये जाएंगे। उत्पादक कार्यों की व्याख्या ऐसी की गई है कि वे ऐसे काम होंगे कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादन में वृद्धि करें, टिकाऊ धन कमायें, पर्यावरण संरक्षण करे अथवा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में अपना योगदान दें।

सभी स्तरों पर उत्तरदायित्व और पारदर्शिता निर्मित हो, ऐसी सख्त व्यवस्थाएं की गई हैं। यथा, श्रमिकों को रोजगार कार्ड दिया जाएगा, पूर्व निर्धारित तिथि पर लोगों की उपस्थिति में ही भुगतान किया जाएगा, सार्वजनिक जांच के लिए सारे दस्तावेज प्राप्त होंगे, तमाम कार्यों का नियमित सामाजिक अन्वेषण किया जाएगा, ग्राम पंचायत में वेतन भुगतान हों तब तक उपस्थिति पत्रक रखे जाएंगे, ग्राम सभा संसाधनों के उपयोग का प्रमाण पत्र देगी, इत्यादि। इस प्रकार रोजगार गारंटी कानून सूचना के अधिकार के साथ सुसंगत है।

स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन का दायित्व तहसील स्तर के अधिकारी का रहेगा। ग्राम स्तर के कामों का आयोजन व अमल ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों के आधार पर करेगी। पंचायतें कामों के हिसाब रखें और तमाम कामों का सामाजिक अन्वेषण हो, ऐसी अपेक्षा भी है।

राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद और राज्य स्तर पर राज्य रोजगार गारंटी परिषद इस कार्यक्रम पर नजर रखेगी। कानून का मसौदा यह बताता है कि मजदूरी का खर्च पूरी तरह केन्द्र सरकार देगी और सामग्री का खर्च केन्द्र व राज्य के बीच बराबर भागों में बांटा जाएगा। यह कानून राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की व्यवस्था करता है।

महत्त्वपूर्ण मुद्दे

तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर इस विमर्श सभा में चर्चा की गई :

१. कानूनी मसौदे के विविध पहलू और लक्षण।

२. स्थायी सम्पति का सर्जन : काम के साथ राज्य की सामान्य योजनागत व गैर-योजनागत प्रवृत्तियों को इस प्रकार जोड़ना कि जिससे अधिशेष श्रमिकों का उपयोग हो सके।

३. रोजगार गारंटी पर खर्च को पूरा करने हेतु वित्तीय स्रोत।

१. साझा न्यूनतम कार्यक्रम और कानूनी मसौदे के लक्षण

१०० या इससे अधिक दिनों का रोजगार

प्रति व्यक्ति वार्षिक १०० दिनों का रोजगार देना ही तय किया गया है, इस सम्बंध में विमर्श सभा में आलोचना हुई थी। रोजगार गारंटी का टेक्नीकल और सैद्धांतिक अर्थ यह होना चाहिए कि पूरे वर्ष भर रोजगार प्राप्त हो। अर्थात् जब अन्यत्र काम नहीं मिले तो लोग रोजगार गारंटी के स्थानों पर रोजगार पा सकते हैं। इस संदर्भ में इस मसौदे में मात्र सीमित स्तर पर ही रोजगार गारंटी देने की बात है। वास्तव में, गारंटी 'क्लियरिंग हाउस' बननी चाहिए। याने कि श्रम की पूर्ति और मांग दोनों वहां समान हो। इसका अर्थ यह हुआ कि मंद ऋतु के दौरान वह अधिक अवसर प्रदान करे। अर्ध शुष्क सहारे विहीन क्षेत्रों में और सीमांत खेती वाले क्षेत्रों में समग्र वर्ष के बहुत बड़े हिस्से तक रोजगार की मांग बहुत ऊंची होती हैं। प्रति वर्ष उसमें बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तन भी होते है। अर्थात् दिनों की संख्या सीमित करने की बात श्रमिकों के हित में नहीं।

महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना के अनुभव दर्शाते हैं कि १९७४ और ९९७९ के सिवाय वास्तव में रोजगार के दिन १०० से भी कम थे। उस दौरान भयंकर अकाल पड़ा था। फिर, जब अर्थतंत्र का आधार बहुत छोटा होता है, तब रोजगार के दिन भी कम होते हैं। कई यह दलील कर सकते हैं कि महाराष्ट्र रोजगार गारंटी के अधीन जो वेतन दिया जाता है, वह खेती वाले वर्तमान वेतन से कम होता है और रोजगार की मांग वेतन दर के साथ अत्यंत मूल्य

सापेक्ष होती है, अतः ऐसा परिणाम आया था। हालांकि १९८३ के बाद इस योजना के अंतर्गत वेतन और न्यूनतम वेतन दोनों समान थे। इसके बावजूद इस योजना के अधीन रोजगार की मांग १०० दिनों की बजाय बहुत ही कम रही थी। मात्र इन वर्षों में ही मांग अधिक रही थी कि जिन वर्षो में वर्षा बहुत कम हुई थी। इस तरह, आरंभ में १०० दिनों की सीमा रखने के बदले पूरे वर्ष दौरान काम की गारंटी देनी चाहिए। फिर, यह विषय राज्य सरकार के विवेक पर नहीं छोड़ देना चाहिए।

प्रति परिवार एक व्यक्ति या प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति

मसौदे में यह बताया गया है कि रोजगार गारंटी परिवार के मात्र एक ही व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। यह बात सार्वत्रिक अधिकार के सिद्धांत को स्पष्टतया भंग करती है। इसके अलावा, परिवार कोई कानूनी इकाई नहीं, अतः फरियाद का निवारण करना मुश्किल हो सकता है। बड़े परिवार में बहुत कम संसाधन अधिक सदस्यों के बीच वितरित होते हैं। तब बहुत सारे लोग इस योजना से बाकी रह जाएंगे और इस तरह सभी लोगों को न्यूनतम जीवन निर्वाह प्रदान करने का उद्देश्य मारा जाएगा।

फिर, यह भी संभव है कि पुरुष श्रमिक अधिकांश रोजगार प्राप्त कर लेंगे और महिलाओं को रोजगार पाने का अधिकार झूठा पड़ जायेगा। अतः रोजगार गारंटी तमाम प्रौढ़ वय वालों को देनी चाहिए और वह परिवार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पर यदि वर्तमान व्यवस्था ही चालू रहती हो तो कम से कम ४० प्र.श. रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए।

ग्रामीण या शहरी अथवा दोनों?

साझा न्यूयनतम कार्यक्रम में यह दर्शाया गया है कि रोजगार गारंटी ग्रामीण व शहरी दोनों इलाकों को समेट लेगी। परंतु कानून के मसौदे में मात्र ग्रामीण क्षेत्रों को ही शामिल किया गया है। व्यथा के मारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में व्यापक स्तर पर स्थलांतरित करते हैं। अतः विशेष रूप से निरवलंब क्षेत्रों के छोटे से छोटे नगरों में बेकारों की संख्या बहुत अधिक होती है कि जो दरिद्रता में जीते हैं। अतः शहरी बेकारों को भी रोजगार गारंटी कानून के अधीन शामिल किया जाना चाहिए।

२. स्थायी सम्पत्ति का सर्जन और श्रमिकों के संगठनों को सुदृढ बनाना।

रोजगार गारंटी मात्र रोजगार का ही भरोसा नहीं देती, परंतु वह स्थायी उत्पादक मिल्कियत भी खड़ी करती है। ऐसी सम्पत्ति ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत बनाती है, और वह फिर रोजगार पर तीव्रकारी असर डालती है। रोजगार सर्जन कार्यक्रम का अतीत का अनुभव यह दर्शाता है कि सामान्य रूप से जो रोजगार निर्मित होता है वह काम चलाऊ होता है और जो सम्पत्ति निर्मित होती है वह भी बहुत ही अल्प अवधि में अदृश्य हो जाती है। अतः फिर वह सम्पत्ति स्वयमेव रोजगार निर्मित कर सके, ऐसी नहीं होती। इसके बावजूद अनेक इलाकों में उचित प्रकार के आयोजन के कारण और लोगों की सहभागिता प्रभावी होने के कारण अच्छी सम्पत्ति का सर्जन हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय रूप से अच्छी मात्रा में रोजगार बढ़ा है और उसके कारण आय भी बढ़ी है।

अतः 'उत्पादक कामों' की अधिक स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए। अभी जो व्याख्या की गई है, उसमें लिखा गया है कि उत्पादन में वृद्धि करें, स्थायी सम्पति निर्मित करें, पर्यावरण का संरक्षण करे या जीवन की गुणवत्ता में सुधार करे, उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान देने वाले काम उत्पादक काम कहलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो सम्पत्ति सबसे ज्यादा लोकदायी होती है उसमें इन परंपरागत श्रमनिष्ठ कामों का समावेश होता है: जलस्राव विकास, तालाब और जल संग्रह करने वाले स्थान पुनः जीवित करना, जमीन विकास और वनों के पुनर्निर्माण जैसी पर्यावरण संरक्षण की प्रवृत्तियां, अनाज संग्रह हेतु ग्राम अंचलों में गोदाम, कचरा निकासी और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र के काम और गृह उद्योग। इस कार्यक्रम में इन सबका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। एक बार स्पष्ट व्याख्या निर्मित होगी तो फिर विकेन्द्रित रूप से उसका सर्जन करने का आयोजन करना सरल हो जाएगा।

मांग उत्पन्न हो, तब काम हाथ में लिये जा सकते हैं अथवा तो निश्चित समयावधि में परियोजनाएं निर्मित की जा सकती हैं और पूरी की जा सकती हैं। महाराष्ट्र का अनुभव यह दर्शाता है कि अनेक प्रसंगों में मांग उत्पन्न होने पर जब काम शुरू हुए तो पूरे ही नहीं हुए। महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना के अधीन अनेक

तालाब बनाये गये हैं, पर पानी का अभाव यथावत है और टैंकरों द्वारा पानी प्रदान किया जाता है। अतः क्या प्रस्तावित रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण सम्पत्ति का सर्जन प्रक्रिया के साथ जुड़ी होनी चाहिए?

३. वेतन दर

श्रम की आपूर्ति वेतन दर के संदर्भ में सापेक्ष होती है। रोजगार गारंटी कानून का मसौदा यह कहता है कि राज्यों में खेत-मजदूरों को जो वेतन न्यूनतम रूप में चुकाया जाता है, उतना वेतन तो इस रोजगार गारंटी योजना के अनुसार चुकाया जाएगा। परंतु न्यूनतम वेतन प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होता है। एक सुझाव ऐसा दिया गया है कि वेतन की मात्रा हेतु कोई राष्ट्रीय सीमा-चिह्न होना चाहिए। अगर उससे उल्टा हो तो क्या? अथवा तो केन्द्र के समांतर ऐसे रोजगार कार्यक्रम राज्य चलाता हो तो केन्द्र उनमें फर्क कैसे करेगा? संभव है कि समय बीतने पर वेतन में प्रादेशिक समानता उत्पन्न हो। पर अभी तो राज्य में जो न्यूनतम वेतन दिया जाता है, उसकी गारंटी तो रहनी ही चाहिए। फिर, रोजगार सर्जन के कार्यक्रम दोहराये न जाएं, और उन कार्यक्रमों को इन कार्यक्रमों में शामिल कर देना चाहिए।

एक ऐसा सुझाव भी इस गोष्ठी में आया था कि वेतन अनाज व नकद दोनों रूपों में देना चाहिए। अनाज का भाव बी.पी.एल. परिवार वाली दर जितना होना चाहिए। अर्थात् १० कि.ग्रा. अनाज ४.६० रु. कि.ग्रा. के भाव से ४६ रु. का, और १४ रु. नकद, यों ६० रु. न्यूनतम वेतन चुकाया जाए। यदि काम नियमित रूप से मिलेगा तो उससे परिवार के स्तर पर अन्न सुरक्षा उत्पन्न होगी और फूड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अनाज संग्रह का खर्च घट जाएगा। वैसे, इतना वेतन गरीबों को लंबी अवधि तक लाभ नहीं देगा। अगर अनाज का भाव अन्य वस्तुओ की तुलना में घटे तो ऐसा ही होगा। इस संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है।

न्यूनतम वेतन एक आर्थिक जरूरत है और इस कार्यक्रम से न्यूनतम जीवन निर्वाह तो होना ही चाहिए। इसके बावजूद वेतन दर ऐसी हो कि जिससे वह अपने आप लक्ष्यांक की तरफ गति करे। अर्थात् जिसे खूब जरूरत हो, उसे ही काम मिले। काम चलाऊ ढंग से सोचें तो यह कहा जा सकता है कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम में वेतन दर मुद्रा स्फीति दर के साथ संबद्ध होनी चाहिए। जैसे-जैसे अर्थतंत्र में वृद्धि हो, वैसे-वैसे उसे बढ़ना चाहिए। यदि ऐसा होगा, तभी वेतन का अधिक अच्छी तरह वितरण होगा और वह ग्रामीण श्रमिक वर्ग हेतु जीवन-वेतन की दर तय करने में योगदान देगा। फिर, राज्य स्तर पर वेतन और साधन सामग्री के खर्च का अनुपात ६०:४० का रहना चाहिए। इन तमाम कार्यों हेतु गोष्ठी में सर्व सम्मति थी। यद्यपि, प्रत्येक परियोजना के संदर्भ में परिवर्तन हो सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वेतन पीस-रेट के आधार पर चुकाया जाना चाहिए।

४. वित्तीय व्यवस्था

जो लोग रोजगार गारंटी की आलोचना करते हैं, वे बराबर यही सवाल खड़ा करते हैं कि पैसा कहां से आयेगा। वे यों कहते हैं कि राजकोषीय खर्च बहुत ज्यादा होगा और राज्य सरकारों या केन्द्र सरकार को वह अभी पोसायेगा अथवा नहीं। साथ ही साथ एक परिवार में यदि १०० दिनों का रोजगार मिले तो वर्ष में उस परिवार को ६,००० रु. की अतिरिक्त आमदनी मिलती है। यह राशि न्यूनतम जीवन स्तर के लिए पर्याप्त नहीं। उसके लिए तो उसे अन्यत्र कहीं से १२,००० रु. कमाने पड़ेंगे। इस परिस्थिति के संदर्भ मे अनिवार्य वित्तीय संसाधनों की गणना करनी हो तो ये परिबल ध्यान में लेने पड़ेगे। वेतन दर, श्रम की शर्त, प्रति श्रमिक रोजगार के दिनों की संख्या, आर्थिक प्रवृत्ति में वेतन खर्च की मात्रा, कार्यक्रम के चरण और उनका आवरण। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए या अमुक बातों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग अनुमान लगाये जाते हैं। सभी ग्रामीण परिवारों में से ३३ से ४० प्रतिशत परिवारों के लिए रोजगार का अधिकार मांगा जाए तो, और एक व्यक्ति का १०० दिन दिनों का रोजगार व्यय १०० रु. माना जाए तो प्रति वर्ष ४४,००० करोड़ रु. से ५३,००० करोड़ रु. चाहिए। १०० रु. के खर्च में ५० रु. के वेतन का समावेश हो जाता है। कई लोग यह अनुमान ५५,००० करोड़ रु. लगाते हैं।

तीसरा एक अंदाजा ऐसा है कि जो वर्तमान ३.५ करोड़ बेकारों को १०० दिनों का रोजगार दिया जाए तो ३५,००० करोड़ रु. चाहिए।

चौथा अंदाजा ऐसा है कि यदि गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले सभी ग्रामीण परिवारों को १०० दिनों का काम दिया जाए तो उसमे ४०,००० करोड़ रु. का खर्च होगा। ये तमाम अनुमान यह कहते हैं कि देश के कुल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी. - ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट) का १.३ प्र.श. से १.८ प्र.श. खर्च होगा।

सरकार इस कार्यक्रम हेतु किस तरह प्राप्त करने का आयोजन कर रही है? इस गोष्ठी के सहभागियों में इस बाबत सहमति थी कि देश में जी.डी.पी. के संदर्भ में कर का अनुपात बहुत नीचा है और हाल के वर्षों में तो वह और घटा है। सरकार को कर का आधार व्यापक करने की जरूरत है और फिर से एक बार १९९१ से पूर्व जो १२ प्रतिशत का अनुपात था, उसे प्राप्त करने की जरूरत है। फिर, निश्चित उद्देश्यों हेतु कर लादने की जरूरत है। अर्थात् अन्य हेतुओं के लिए इस कर की राशि को काम में नहीं लिया जा सकता। तीसरे, सबसिडियों के लिए लक्ष्य-समूह तय करने करने की व्यवस्था नये सिरे से की जाए और अधिक उचित रूप से सबसिडी का उपयोग किया जाए।

अंत में, फूड कार्पोरेशन इंडिया के पास जो अनाज का भंडार है उसका उपयोग भी रोजगार गारंटी के खर्च को पूरा करने हेतु किया जा सकता है। इन सबमें से कार्यक्रम के खर्च हेतु पैसा मिल सकेगा। गरीब की तरफ संसाधन मोड़ने का लाभ समग्र अर्थतंत्र को मिल सकता है। उससे रोजगार आधारित विकास खड़ा होगा और अर्थतंत्र में जितनी अतिरिक्त उत्पादन शक्ति है, उसका उपयोग भी होगा।

५. केन्द्र राज्य संबंध

अधिकांश राज्य आर्थिक तंगी से गुज़र रहे हैं। अतः वे इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु अधिक आर्थिक बोझ उठाने को तैयार नहीं है। यदि राज्यों को यह रोजगार गारंटी देने का दायित्व सौपा जाएगा तो उसके राजनीतिक परिणाम विपरीत आ सकते हैं। यह भी संभव है कि केन्द्र उसका उपयोग राज्यों के विरुद्ध राजनीतिक फायदा उठाने हेतु भी करे। इस सभा में ऐसा सुझाव दिया गया कि राज्यों पर धीमे-धीमे बोझ पड़ना चाहिए। आरंभ में केन्द्र को १०० प्र.श. खर्च उठाने की तैयारी बतानी चाहिए और फिर पांच वर्ष या अधिक समय बीत जाने पर ७५:२५ की अनुपात तय करना चाहिए।

६. सार्वजनिक कामों में भ्रष्टाचार

सार्वजनिक कार्यक्रमों के अनेक विश्लेषण उनमें चलने वाले भ्रष्टाचार पर ध्यान आकृष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक नयी योजना भ्रष्टाचार की शिकार हो जाती है। महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना में भी कई बार काम का मूल्य नितांत अवास्तविक रूप से अनुमानित किया गया था। क्योंकि माप और समूह की गणना उचित रूप से नहीं की जाती। फिर, दूसरे चरण की समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। यथा, वर्तमान श्रमिकों के बीच की सांठगांठ। उससे किसी नये श्रमिक को प्रवेश ही न मिले। वर्तमान मसौदे में स्थानीय स्तर पर सामाजिक अन्वेषण की जो व्यवस्थाएं की गई है, उन्हें विमर्श सभा ने स्वीकार किया था और ऐसा सुझाव दिया था कि विविध स्तर पर मूल्यांकन व देखरेख के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे भ्रष्टाचार न हो और संसाधनों का दुरुपयोग न हो।

७. रोजगार गारंटी हेतु प्रयास

कई सहभागियों को ऐसा लगा कि रोजगार गारंटी का अभियान अब भी थोड़े से विशेषज्ञों और व्यवसायियों तक सीमित है और राजनीतिक दल या जन साधारण का ध्यान इसकी तरफ गया ही नहीं।

रोजगार गारंटी संबंधी कानून की मांग कई लोगों की मांग है, अतः इसे शंका की नजर से देखने की जरूरत है। देश में कई परिसंवाद और सम्मेलन निश्चय ही आयोजित हुए हैं, परंतु कई लोगों को लगता है कि प्रस्तावित कानून के संबंध में उनके साथ पर्याप्त चर्चा नहीं की गई। राजनीतिक वास्तविकता यह है कि कानून विभाजक बन सकता है : स्थानीय वेतन बढ़ने के साथ किसानों और खेत मजदूरों के बीच दरार पड़ सकती है। राजनीतिक दलों के बीच यह भेदभाव पैदा कर सकती है अथवा प्रशासनिक सत्ताधिकारियों और सत्ताहीनों के बीच भी भेदभाव पैदा कर सकती है। अतः इस विमर्श सभा ने सर्वसम्मति की इच्छा व्यक्त की थी और रोजगार गारंटी के स्वीकार और क्रियान्वयन हेतु लोगों को तैयार करने का आह्वान किया था। यहां लक्ष्य समूह और संभावित लाभार्थियों के

साथ सम्पर्क करके उनमें जागरूकता लाने की भूमिका सामाजिक संगठन अदा करें, यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात है।

यह संभव है कि संसद में प्रस्तावित कानून के अमुक विकृत स्वरूप का ही स्वीकार किया जाए। अब तो वाकई यह वास्तविकता बन गई है। इसके बावजूद कानून की यह चाबी राजनीतिक दलों में चर्चा उत्पन्न कर सकती है और राज्य के साथ भावी परामर्श में मदद मिल सकती है। यह तो सब से सुविदित विषय है कि वर्तमान सरकार को बाहर से मदद देने वाला मार्क्सवादी साम्यवादी दल कम वाचाल है। पश्चिम बंगाल में काम की मांग बहुत ऊंची है और राज्य रोजगार सर्जन की समस्याओं का सामना कर रहा है। फिर, राज्य की आर्थिक दशा भी बिगड़ी हुई है अतः एक ऐसा डर भी उसे सता रहा है कि इस कानून का यश कांग्रेस पार्टी ले जाएगी।

संक्षेप में, सरकार या उसके भागीदार कोई इस कानून के प्रति राजनीतिक दृष्टि से तैयार नहीं। कानून को और उसके सूचित-अर्थ को समझने के लिए व्यापक मात्रा में सर्व सम्मति होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्यक्रम दूसरी एक नयी योजना नहीं बन जाना चाहिए।

अनुशंसाएं

निम्न अनुशंसाओं के बारे में विमर्श सभा के सहभागियों में सर्व सम्मति थी :

(१) परिवार का नहीं वरन् प्रौढ़ वय के व्यक्तियों को रोजगार गारंटी प्रदान की जाए।

(२) कार्यक्रम के अधीन न्यूनतम वेतन हेतु कोई केंद्रीय स्तर होना चाहिए। वैसे उचित समय पर यह स्तर तय करने के बारे में विगतवार चर्चा हो सकती है।

(३) किसी अन्य के बजाय पंचायत राज व्यवस्था द्वारा इस कार्यक्रम का श्रेष्ठ रूप से क्रियान्वयन हो सकता है।

(४) इसकी व्यवस्था की देखरेख और मूल्यांकन हेतु ठेठ स्थानीय स्तर तक उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार न हो और संसाधनों का दुरुपयोग न हो। इस संदर्भ में सामाजिक अन्वेषण और उपभोक्ता द्वारा मूल्यांकन उत्तरदायित्व तय करने हेतु उपयोगी पद्धति बन सकते हैं।

(५) श्रमिकों द्वारा उत्पादक भौतिक मिल्कियत का सर्जन हो, इसके लिए तमाम प्रयास किये जाने चाहिए, पर सामाजिक सम्पतियों का सर्जन, ग्रामीण श्रमिकों की अधिकारिकता और आत्म गौरव जैसे रोजगार गारंटी के अन्य लाभों की नितांत उपेक्षा न हो। याने भौतिक सम्पति ही ग्रामीण कामों हेतु एक मात्र मापदंड न बने। अंत में, सम्पतियों का निर्वाह भी सम्पतियों के सर्जन का अनिवार्य भाग बनना।

(६) संसद भले ही कानून बनाए, पर उसका अमल यथा संभव अधिक मात्रा में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श द्वारा होना चाहिए। उससे स्थानीय मांगों और श्रम बाजार की भौगौलिक व प्रादेशिक जरूरतों का ध्यान रखा जा सकेगा। उससे राज्य सरकारों को भी ऐसा लगेगा कि यह कार्यक्रम उनका अपना है।

(७) रोजगार गारंटी का अर्थ यह होना चाहिए कि अधिकतम लोगों को काम मिले। ताकि सबसे अधिक तार्किक कदम यह बने कि समय के जिस चरण पर जो सबसे उत्पादक काम हो, वही काम हाथ में लिया जाए।

(८) रोजगार गारंटी की यह व्याख्या कर लेने के बाद उसके कार्यक्रम को संसाधनों की कमी का ग्रहण नहीं लगना चाहिए।

(९) रोजगार का आवंटन स्व-पसंद के आधार पर होना चाहिए। बी.पी.एल. कार्ड या दूसरा कुछ भी उसके लिए लक्ष्य तय करने का साधन नहीं बनना चाहिए।

(१०) कार्यक्रम चाहे ३ से ५ वर्ष की अवधि में चरणबद्ध अमल में आने वाला हो, पर वह समग्र देश को समेटने वाला होना चाहिए।

सम्पर्क: pradeep@idsj.org और sarthi@idsj.org

क्या रोजगार गारंटी सचमुच प्रभावी सिद्ध होगी?

केन्द्र सरकार रोजगार गारंटी विषयक एक कानून लाने की सोच रही है। इस संबंध में उसने एक मसौदा भी तैयार किया है। रोजगार गारंटी वास्तव में आंशिक रूप से काम का अधिकार खड़ा करती है। परंतु सरकार का यह कदम वाकई गरीबों की बेकारी व गरीबी दूर करने में कितना उपयोगी होगा, इस बारे में कुछेक संशय विद्यमान हैं। इस संदर्भ में कई निष्णातों के मंतव्य यहां प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

श्री रुद्र दत्त

मूल प्रश्न यह है कि इस कार्यक्रम के लिए पैसे की अधिकांश व्यवस्था केन्द्र सरकार को करनी है, तो क्या केंद्र सरकार इसके लिए वांछित धन राशि जुटा सकेगी? केंद्र सरकार पैसों की व्यवस्था के बारे में अंतिम निर्णय नहीं ले पाई है। अतः उसने ऐसा निर्णय किया कि राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जाए कि वे स्वयं इसमें कितना योगदान दे सकती हैं। केंद्र सरकार यह बात भली-भांति समझती है कि जैसे-जैसे यह कार्यक्रम गति पकड़ेगा, वैसे-वैसे लोकतांत्रिक दबाव बढ़ता जाएगा और तमाम बेकारों के लिए इसकी मांग उत्पन्न होगी और इसे लेकर वे दबाव डालेंगे कि १०० दिनों के बजाय पूरे वर्ष के लिए कार्यक्रम चलाया जाए।

रोजगार गारंटी कानून में लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य का अभाव है। महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना न गरीबी दूर कर सकी और न बेकारी दूर कर सकी। गरीबी को कम करने वाली ये योजनाएं शरीर में खून को बदलने जैसी हैं और इससे गरीब वर्गों की समस्या थोड़े समय के लिए तो कम हो जाती है, पर गरीबी की मूल बीमारी तो इससे दूर नहीं होती। यह योजना महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना की तरह ही काम-चलाऊ राहत देने का वादा करती है परंतु जरूरत इस बात की है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे अर्थतंत्र इतना मजबूत बने कि जिसमें रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता बढ़े। निवेश स्वयं बढ़ता चला जाए, ऐसी प्रक्रिया से ही हम पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे और उसके साथ-साथ गरीबी दूर करने का लक्ष्य भी प्राप्त होगा।

इस कार्यक्रम को अकुशल और अप्रभावी राज्य सरकारों के कारण रोक देना भी नहीं चाहिए। कई राज्यों में सफलता मिलने से दूसरे राज्यों को यह प्रेरणा दे सकता है, वे उसके लिए विवश हो सकते हैं। फिर, जो राज्य सरकारें अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन न करें, उन्हें उसके लिए मिलने वाले धन में केंद्र सरकार कटौती भी कर सकती है।

दूसरा एक प्रश्न न्यूनतम वेतन संबंधी है। देश भर में न्यूनतम वेतन एकसा नहीं है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने न्यूनतम वेतन ६० रु. सुझाया है। पर बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों का अनुभव यह दर्शाता है कि जब ऐसे रोजगार सर्जन कार्यक्रमों में जो वेतन दिया जाता है, वह बाजार में मिलने वाले वेतन से कम हो तो वह कार्यक्रम सफल होता है। वेतन बढ़ाया जाता है तो सरकार पर बोझ बढ़ता है पर उससे गरीबों को लाभ हो यह जरूरी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि रोजगार सर्जन के कार्यक्रम में वेतन बढ़ने पर सबसे गरीब लोग उसमें से बाहर निकाल दिये जाते है और कम गरीब या तुलनात्मक दृष्टि से धनवान लोग उसका लाभ ले जाते हैं। नये कार्यक्रम में इस बात पर ध्यान देना चाहिए।

श्री अमित भादुड़ी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक-२००४ और सूचना के अधिकार का विधेयक-२००४ दिसंबर माह की २१ और २३ तारीख को संसद के शीतकालीन सत्र में दाखिल किये गए थे। भारत में गरीबों के लिए यह एक खुशी का विषय था। परंतु रोजगार गारंटी कानून की करुणता यह है कि यह प्रशासन तंत्र के अंकुश वाली योजना है। इसमें पंचायत के स्तर पर प्रयास हो, इसके लिए गुंजाइश नहीं है। गरीब परिवार स्वयं ही इस कार्यक्रम

के लिए अपना चयन नहीं करते वरन् अधिकारी द्वारा तय किये गए स्तर के अनुसार उनका चयन किया जाएगा। राज्य स्तर पर रोजगार गारंटी की जो योजनाएं शुरू हों, उनमें केंद्र सरकार विज्ञापन द्वारा जब चाहें सुधार कर सकती हैं। सूचना की प्राप्ति बिना किसी अवरोध के हो, ऐसा इसमें नहीं। इसमें तो यह लिखा गया है कि योजना में तय की गई फीस देने के बाद जरूरी दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते हैं। इस प्रकार, इसमें भी भाव निश्चित किया गया है।

गरीबों की क्रय शक्ति में वृद्धि करने का काम सार्वजनिक कामों द्वारा हो सकता है। केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा घाटे में से ये काम हो सकते हैं। प्रारंभिक स्तर पर ऐसा हो सकता है, पर बाद में तो विकेंद्रित रूप से होना चाहिए। ग्रामीण संचार व्यवस्था, भंडार, शाला भवन, स्वास्थ्य केंद्र, लघु सिंचाई योजनाएं इत्यादि परियोजनाओं में विकेंद्रित रूप से रोजगार उत्पन्न होना चाहिए।

श्री मिहिर शाह

प्रस्तावित कानून में गरीब स्वयं लाभार्थी बनने का निश्चय करे, ऐसा कहा गया है। यह एक अच्छी बात है। वे स्वयं ही इस कार्यक्रम के अधीन सख्त मजदूरी के काम करने के लिए आगे आयेंगे, ऐसा यह प्रस्तावित कानून मानता है। परंतु इस कार्यक्रम का लाभ मात्र गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों को ही देना तय किया गया है, अतः इस प्रकार स्वयं पसंद करने का मापदंड समाप्त हो जाता है। फिर, अमुक निश्चित समय में अमुक निश्चित काम पूरा करने के लिए आवश्यक लोग मिल पाना कई ग्राम पंचायतों के लिए मुश्किल हो जाता है। इस के अलावा, एक परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार देना और अधिक से अधिक १०० दिनों का रोजगार देना भी तय किया गया है। इससे, वास्तव में यही कहा जा सकता है कि नियंत्रण बहुत अधिक हैं।

देश में बी.पी.एल. सूची भी विश्वसनीय नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी आशंका है कि स्थलांतरित और घर-विहीन लोग इस योजना के लाभार्थी बनने से रह जाएंगे। अनेक विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि सरकार के गरीबी के अंदाज बहुत कम हैं। अतः इस कार्यक्रम में मात्र सत्तावार गरीबों का समावेश होगा पर बाकी के बहुत गरीब इससे वंचित रह जाएंगे।

इस योजना में भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए देखरेख की व्यवस्था एकदम मजबूत हो, यह जरूरी है। सामाजिक अन्वेषण करने में ग्राम सभा की भूमिका महत्वपूर्ण है। पर ग्राम सभाओं पर जो संवैधानिक जिम्मेदारियां लादी गई हैं उन्हें वे अदा कर सकने की स्थिति नहीं हैं। अतः स्थानीय लोगों के संगठन ग्राम सभा को इस मामले में मदद करें, यह जरूरी है। प्रत्येक तहसील में देखरेख के लिए जो समिति गठित हो, उसे ग्राम सभा को इस संबंध में मदद करनी चाहिए। ग्राम सभा के कार्यक्षेत्र के अधीन यह समिति काम करें, यह जरूरी है। रोजगार सर्जन का काम गढ़ने में, उसके अमल में और अमल के उपरांत मूल्यांकन में तहसील स्तर की यह समिति ग्राम सभा की मदद करे, यह आवश्यक है।

अधिक अच्छे ढंग से सार्वजनिक काम हाथ में लिये जाएं, मात्र यही जरूरी नहीं। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि पंचायत में कौन से काम हाथ में लिये जाएं और वे किस तरह तय हों। पंचायत की जरूरतों और संभावनाओं का प्रतिबिम्ब उसमें पड़ना चाहिए। पंचायत के प्रत्येक वार्ड की जरूरतें उसमें ध्यान में लेनी चाहिए। प्रत्येक स्थान के अनुकूल काम लेना जरूरी है। रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए श्रमनिष्ठ कामों पर ध्यान देना चाहिए। तमाम प्रकार के निर्णय गांव की बैठकों में लिये जाने चाहिए। कई बैठकें तो कार्यस्थल पर ही की जानी चाहिए। यह समग्र प्रक्रिया यथा संभव पारदर्शी और सार्वजनिक हो।

सुश्री इंदिरा हिरवे

(१) इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? यह गरीबों को पूरक रोजगार देना चाहता है या फिर यह गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों को इस रेखा के नजदीक लाने हेतु पर्याप्त वेतन-आय देना चाहता है? इस प्रश्न के उत्तर का प्रभाव इस पर पड़ता है कि कितने दिनों का रोजगार प्रदान करना है, साथ ही इसमें वेतन दर कितनी रहेगी। वास्तव में तो गारंटी का मुख्य उद्देश्य काम का अधिकार देना है। यह जीवन के अधिकार के साथ संबंधित है। याने इसमें काम भी अच्छा

होना चाहिए और पर्याप्त रोजगार मिलना चाहिए। अर्थात् इसमें ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं :

(१) रोजगार के दिनों की संख्या सीमित नहीं होनी चाहिए।

(२) पूरे वर्ष के दौरान रोजगार मिलना चाहिए।

(३) न्यूनतम वेतन तो मिलना ही चाहिए।

(४) श्रमिक को न्यूनतम सामाजिक रक्षण मिलना चाहिए।

(२) काम की गारंटी प्रदान करना, यह इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। सारे राज्यों में और प्रदेशों में तत्काल गारंटी देने की जरूरत नहीं। विशेष रूप से वहां, जहां खेती समृद्ध है और जहां सार्वजनिक कामों की मांग बड़ी नहीं होती। शुरूआत पिछड़े जिलों से की जानी चाहिए। फिर निरंतर उसमें वृद्धि होती रहनी चाहिए। रोजगार के दिनों की संख्या भी निरंतर बढ़नी चाहिए।

(३) गरीबों हेतु निरंतर रोजगार प्रदान करना इस कार्यक्रम का हेतु हो तो मुख्य प्रवाह के अर्थतंत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों, इस बात को प्रोत्साहन देना चाहिए। यथा समय वेतन भुगतान, सस्ते अनाज की दुकानों से अनाज की यथा समय अवाप्ति करना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना आदि बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अतः इस कार्यक्रम के अंतर्गत उचित आयोजन हो, यह जरूरी है। मिल्कियत के उपयोग व निर्वाह का महत्व भी इस कार्यक्रम के संदर्भ में बहुत है। तभी मुख्य प्रवाह के अर्थतंत्र में रोजगार उत्पन्न हो सकता है।

(४) रोजगार की गारंटी देने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन व अमल इस तरह होना चाहिए जिससे राज्य की तिजोरी पर यह लंबी अवधि के लिए बोझ न बने। यह कार्यक्रम लंबे समय तक चलने वाला है। गरीब कितने हैं और कार्यक्रम कैसा चलता है, इसी पर इस कार्यक्रम का आधार है, अतः आवश्यक बात यह है कि जब तक कार्यक्रम चले तब तक इसके लिए धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस कार्यक्रम को प्राथमिकता दे तो वांछित कोष खड़ा करना बहुत मुश्किल नहीं है।

(५) कार्यक्रम के प्रभावी और क्षमतापूर्ण क्रियान्वयन हेतु सरकारी तंत्र को प्रशिक्षण देना चाहिए और उसकी क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। श्रमिकों के संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों की क्षमता-वृद्धि भी जरूरी है।

(६) गरीबी निवारण कार्यक्रम के पिछले तीन दशक के भारत के अनुभव यह बताते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम में विकेंद्रीकरण महत्वपूर्ण है और लोक-भागीदारी करने वाली संस्थाएं महत्व की हैं। इस कानून में राज्य, जिलों, तहसीलों और राज्य स्तर की कई संस्थाएं नजर जरूर आ रही हैं। यह सारा विकासोन्मुखी प्रशासन तंत्र है और पंचायतें हैं। परंतु आयोजन और सामाजिक अन्वेषण जैसे काम करने के लिए ये संस्थाएं पूरी तरह से लैस नहीं है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत अपनी भूमिका अदा कर सकें, यह जरूरी है। इस कार्यक्रम के अमल हेतु अन्य अनेक संस्थाओं की भी जरूरत पड़ेगी। यह आवश्यक है कि ये सारी संस्थाएं विकेंद्रित पद्धति से काम करें।

(७) इस प्रकार का कार्यक्रम महिलाओं के लिए अनूकूल होता है। इसके कारण निम्नानुसार हैं :

(१) महिलाएं स्वरोजगार के बदले वेतन-रोजगार ज्यादा पसंद करती हैं। (२) काम स्थानीय स्तर पर ही मिलता है। (३) काम शारीरिक होता है और कई बार प्राकृतिक संसाधनों के साथ सम्बद्ध होता है। अतः इस कार्यक्रम को महिलालक्ष्यी बनाना चाहिए, इसके लिए - (१) महिलाओं में इस कार्यक्रम के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना और अधिकारों के बारे में उन्हें शिक्षित करने के प्रयास करना आवश्यक है। (२) मिल्कियत के स्वामित्व और संचालन अधिकार महिला समूहों को देने चाहिए। (३) प्राकृतिक संसाधनों के संचालन व संगठन हेतु महिलाओं का शामिल करना चाहिए। (४) पंचायतों और प्रशासन तंत्र को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। (५) महिलाओं को

शेष पृष्ठ 16 पर

विकलांग महिलाओं के संबंध में दो अध्ययन

शारीरिक या मानसिक विकलांगता एक व्यक्तिगत समस्या नहीं, वरन् सामाजिक समस्या है और समग्र विकास के साथ उसका संबंध है। महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार विकास की प्रक्रिया को एकांगी बनाता है। पर विकलांग महिलाएं तो बहुत अधिक पिछड़ जाती हैं। उनकी समस्याओं को विकास की समग्र प्रक्रिया में लाने के लिए जरूरी है कि उनकी समझ विकसित की जाए। इस उद्देश्य से हाल ही में उड़ीसा और कर्नाटक में दो अध्ययन किये गए हैं। इन अध्ययनों के निष्कर्ष संक्षेप में यहां दिये गए हैं।

१. उड़ीसा का अध्ययन

उड़ीसा में लगभग ४० लाख विकलांग महिलाएं हैं। उनकी दशा अधिकांशतया भयानक है। 'एब्यूज एंड एक्टिविटी लिमिटेशन' नामक हाल ही में एक अध्ययन किया गया है। इसमें लगभग ७२९ शारीरिक विकलांग व मानसिक दृष्टि से क्षतिग्रस्त महिलाओं को शामिल किया गया था।

इस अध्ययन द्वारा ऐसे मुद्दों को बाहर लाने का प्रयास किया गया है कि जो ज्यादातर अदृश्य रहे हैं और जिनके बारे में ज्यादातर किसी तरह की चर्चा नहीं की जाती। भरी गई ७२९ प्रश्नावलियों में से विकलांग महिलाओं के शोषण का जो विवरण बाहर आया है उसका कुछ विवरण निम्नानुसार है :

आधारभूत अधिकारों से इनकार

(१) अन्न का अधिकार

शारीरिक विकलांग महिलाएं ६४ प्रतिशत और मानसिक क्षतिग्रस्त ५८.७ प्रतिशत महिलाएं रोज तीन खाना खा सकती हैं। मात्र ४० प्रतिशत मानसिक क्षति वाली महिलाओं को परिवार के साथ भोजन करने का अवसर मिलता है। मात्र २५ प्रतिशत स्त्रियां ही खाना पका सकती हैं।

(२) पालन-पोषण और निजी संभाल

मानसिक क्षति वाली ४० प्रतिशत स्त्रियां ही रोज स्नान करती हैं, ३८ प्रतिशत ही बाल संवारती हैं और ४३ प्रतिशत ही रोज वस्त्र बदलती हैं। मात्र १९ प्रतिशत स्त्रियां ही शौचालय का उपयोग करती हैं।

(३) चिकित्सा जांच

शारीरिक रूप से विकलांग २७ प्रतिशत और मानसिक क्षति वाली ३१ प्रतिशत स्त्रियां ही चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं। मानसिक क्षति वाली स्त्रियों में चिकित्सा जांच के संदर्भ में यह प्रतिशत अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक है।

(४) सामाजिक जीवन

जो स्त्रियां मानसिक रूप से बीमार हैं उनके लिए लगभग सामाजिक बहिष्कार की स्थिति है। सामाजिक प्रसंगों में मात्र १९ प्रतिशत स्त्रियां ही भागीदार होती हैं और २६ प्रतिशत स्त्रियां ही धार्मिक प्रसंगों में सहभागी होती हैं। मात्र ३०.५ प्रतिशत स्त्रियां ही विवाहित थीं। अधिकांश विकलांग महिलाओं के प्रति भेदभाव रखा जाता है क्योंकि स्त्रियों को मनुष्य के रूप में उनकी गुणवत्ता के आधार पर नहीं, वरन् उन्हें शारीरिक दृष्टि से अच्छा-बुरा समझा जाता है। उनको निश्चित नियम के अनुसार नहीं समझा जाता और उनकी यौनवृत्ति को स्वीकार नहीं किया जाता। परिवार, बालक के जन्म और घरेलू कामकाज आदि मामले में भी उन्हें अयोग्य समझा जाता है। विवाह के बाद गर्भावस्था, बालक के परिपालन और घरेलू कामकाज के मामले में उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शारीरिक दृष्टि से विकलांग ४४.२ प्रतिशत और मानसिक क्षति वाली २१.६ प्रतिशत स्त्रियों ने ही संतान की इच्छा व्यक्त की थी। वैसे हाल के अध्ययन बताते हैं कि जिन स्त्रियों का आधा अंग याने शरीर का निचला भाग लकवाग्रस्त हो, वे बालक को जन्म दे सकती हैं और स्वस्थ

बालक का पालन कर सकती हैं।

घरेलू हिंसा

(१) शारीरिक हिंसा

ज्यादातर जब घरेलू हिंसा के विषय में सीधा प्रश्न पूछा जाता है तो स्त्रियां 'ना' में उत्तर देती हैं। वैसे, २२.६ प्रतिशत महिलाओं की घर में मारपीट होती है, इसे स्वीकार किया गया। मानसिक रूप से बीमार स्त्रियों के लिए यह प्रमाण ४८.५ प्रतिशत था। परंतु जब उन्हें यह पूछा गया कि क्या उन्होंने मारपीट का मुकाबला किया था या नहीं, तब यह स्पष्ट हो गया कि सब औरतों की मार-पिटाई होती थी। कई बार पुरुष क्रोध करने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाते थे। लगभग ५० प्रतिशत से अधिक स्त्रियों की तो बिना किसी कारण पिटाई होती थी।

(२) परिवारों, संस्थाओं और समग्र समाज में विकलांग बालिकाओं और स्त्रियों के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाएं बहुत होती हैं। १२.६ प्रतिशत स्त्रियों ने बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ था। १५ प्रतिशत स्त्रियों ने यह स्वीकार किया था कि उनका कमोबेश यौन उत्पीड़न हुआ था। मानसिक रुग्णता वाली स्त्रियों में यह मात्रा क्रमशः २५ प्रतिशत और १९ प्रतिशत थी। उनके संदर्भ में दो कारण महत्वपूर्ण हैं : एक तो, उनमें लज्जा का भाव अधिक विकसित नहीं होता, और दूसरे, परिवार उनका उपयोग अनिवार्य वंध्यीकरण कराने हेतु करता है। शारीरिक विकलांगों में २० प्रतिशत और मानसिक बीमार स्त्रियों में २२ प्रतिशत पर तो परिवार के सदस्यों ने ही बलात्कार किया था।

(३) अनिवार्य वंध्यीकरण

कई देशों में विकलांग बालकों के जन्म को रोकने के लिए कानूनी और नीतिगत उपाय किये गए हैं। बहुत बार ऐसा मानने में आता हैं कि विकलांग स्त्रियां विकलांग बालकों को जन्म देती हैं। अतः परिवार द्वारा अनिवार्यतः वंध्यीकरण किया जाता है। अध्ययन में ऐसा बताया गया कि शारीरिक विकलांग ६ प्रतिशत और मानसिक विकलांग ८ प्रतिशत का वंध्यीकरण कराने की परिवार के सदस्यों द्वारा अनिवार्यता महसूस की गई थी।

२. कर्नाटक का अध्ययन

कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलूर की झोंपड़पट्टी क्षेत्र में रहने वाली विकलांग महिलाओं के बारे में यह अध्ययन हाथ में लिया गया था। 'एक्शन एड इंडिया' की विकलांगता इकाई 'सबला' द्वारा इसे हाथ में लिया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य विकलांग महिलाओं के शरीर, उपेक्षा, शोषण व हिंसा के बारे में उनके अनुभवों का पता लगाना था। व्यक्तिगत सम्पर्क तथा समूह चर्चा द्वारा इस अध्ययन में जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। इस अध्ययन से विकलांग महिलाओं के शारीरिक, सामाजिक व आर्थिक शोषण संबंधी जो निष्कर्ष मिले हैं, वे इस प्रकार हैं :

(१) विकलांग महिलाएं और शरीर

विकलांग महिलाएं सामाजिक व सांस्कृतिक रचनाओं द्वारा स्वयं को अलग-थलग पड़ी देखती हैं। सुंदरता संबंधी विचार द्वारा वे एक कोने में कर दी जाती हैं। सामान्यतया इन्हें यौन प्रवृत्ति से रहित और आकर्षण विहीन माना जाता हैं। इस तरह इन्हें सामान्य सामाजिक भागीदारी में से बहिष्कृत रखा जाता है। मानसिक व शारीरिक शोषण की निशानियां और कुपोषण इन विकलांग महिलाओं के शरीर पर लिखा भेदभाव होता है।

(२) शोषण और हिंसा

भारत में शारीरिक हिंसा एक विशेष समस्या है, क्योंकि उसके सामने आने पर लड़की और उसका परिवार संकट में घिर जाता है। इस कारण से बालिका की अपनी विवाह की पात्रता और उसकी संतानों की पात्रता के समक्ष भी संकट खड़ा हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां अपने पतियों द्वारा की जाने वाली हिंसा को अपनी समान्य जिंदगी का हिस्सा मानती हैं। जिस व्यवहार को वे हिंसक मानती हैं उसके बारे में वे बात नहीं करतीं क्योंकि उसे वे जीवन का सामान्य अनुभव मानती हैं। स्त्री भ्रूण हत्या और बाल मृत्यु दर की ऊंची मात्रा भी रूढ़

सामाजिक व्यवहारों का परिणाम होता है।

(३) हाशिये पर डालना

भारतीय समाज में विकलांग महिलाएं एक कोने में धकेली गई होती हैं। उन्हें एक समुदाय भी नहीं माना जाता। विकलांग महिलाओं के लिए कोई विधायक आदर्श नमूने रूपी भूमिकाएं नहीं होतीं। सच्चाई में तो, उनका कोई इतिहास नहीं होता। संचार माध्यमों में महिलाओं के शरीर को वस्तु समझा जाता है, जबकि हिन्दी फिल्मों में उनका वास्तविक विधायक चित्रण नहीं होता।

(४) विवाह और मातृत्व

अधिकांशतया सामाजिक दृष्टि से विकलांग महिलाओं को यौन-वृत्ति से रहित और मातृत्व हेतु अयोग्य माना जाता है। इस कारण से विकलांग महिलाओं के मन में कड़वाहट पैदा होती है और हताशा जन्म लेती है। उनकी स्व-पहचान पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता हैं। विकलांग स्त्रियां इरादतन उपेक्षा, व्यंग्योक्ति, शारीरिक आक्रमण व यौन शोषण की शिकार बनती हैं। ज्यादातर पुरुष ही ऐसा आचरण करते हैं, पर साथ ही साथ सामान्य स्त्रियां भी विकलांग स्त्रियों को गुलाम की तरह रखती हैं। विकलांग स्त्रियों की माताएं और उनको संभालने वाली स्त्रियां भी बहुधा इसी तरह का बर्ताव करती हैं।

(५) शोषण के विविध स्वरूप

सामान्य स्त्रियों के लिए बहुधा जो सामान्य बात होती है वह विकलांग स्त्रियों के लिए शोषण-स्वरूप बन जाती है। विकलांगता के कारण जो मर्यादाएं होती हैं वही इस शोषण का कारण बनती हैं। विकलांग स्त्रियों की सहायता करने वाले ही बहुधा प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों परस्पर जुड़े हुए मुद्दे, कदाचित अभिन्न मुद्दे हैं।

पृष्ठ 13 का शेष भाग

उत्पादक सम्पदा के उपयोग में शामिल करने के लिए विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए।

(८) समानता उत्पन्न करने हेतु कार्यक्रम के अंतर्गत खड़ी की गई सम्पति का स्वामित्व और उपयोग महत्वपूर्ण है। सम्पति के बारे में प्रादेशिक असमानता पैदा न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नांकित मुद्दे महत्वपूर्ण हैं :
(अ) इस कार्यक्रम के अधीन जो मिल्कियत तैयार हों, उन तमाम पर श्रमिकों का स्वामित्व होना चाहिए। (आ) तमाम परिवारों के बीच लाभों का बंटवारा समान स्तर पर होना चाहिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमेशा मात्र सार्वजनिक मिल्कियत तैयार करना संभव नहीं होगा। अतः निजी लाभ उत्पन्न हों, यह भी जरूरी है। उसमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए : (क) सार्वजनिक काम न हों, तभी निजी काम हाथ में लिये जाएं। (ख) लघु एवं सीमांत किसानों की मिल्कियतों का आधार बढ़े, ऐसे कामों पर ध्यान केंद्रित करना। (ग) निजी मिल्कियत वालों को इस कार्यक्रम के अधीन लाभ हो तो उनसे आंशिक रूप में खर्च वसूल किया जाए।

श्री ए. वैद्यनाथन

रोजगार गारंटी विधेयक की एक महत्वपूर्ण कमज़ोरी यह है कि इसमें पंचायतों की भूमिका अत्यंत मर्यादित है। रोजगार गारंटी अधिकांशतः स्थानीय विकास संबंधी स्थानीय कामों के साथ सम्बद्ध विषय है। स्थानीय समुदाय कामों के बारे में निर्णय करने में सक्षम हो ते हैं। वे स्थानीय जरूरतों और संयोगों के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। यदि पंचायतों पर यह योजना छोड़ दी जाए तो वे अधिक जिम्मेदारी के साथ कार्यक्रम का अमल करेंगे। अनुभव यह बताता है कि जो काम सरकारी संस्थाओं के बजाय पंचायतों द्वारा होते हैं, वे अधिक अच्छे ढंग से, अधिक गति से और सस्ते होते हैं। अतः रोजगार गारंटी के कामों में भी उन्हें सक्रियता से शामिल करना चाहिए।

अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं का भद्र वर्ग यों मानता है कि स्थानीय नेताओं के पास इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जरूरी क्षमता नहीं है और वे भी उतने ही भ्रष्टाचार से ओतप्रोत हैं। पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई पंचायतें अधिक प्रभावशाली हैं, इसमें शंका का कोई स्थान नहीं है। भ्रष्टाचार को रोकने में भी पंचायतें अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं।

महिलाओं की अपमृत्यु में कमी : ‘अवाज’ के प्रयासों की सफलता

गुजरात में महिलाओं की अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में कमी लाने हेतु ‘अवाज’ द्वारा किये गए प्रयासों की झांकी को इस लेख में सुश्री इलाबहन पाठक ने प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार की सहायता से चलने वाले परिवार सलाह केंद्रों के सलाहकारों और कानूनी सहायता केंद्रों के सलाहकारों और कानूनी सहायता केंद्रों के सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिस को महिला-संवदेनशीलता के संबंध में दिये गए प्रशिक्षण से ऐसा बदलाव आया है और अब ‘अवाज’ जो करने की सोच रहा है उसे इस लेख में व्यक्त किया गया है।

प्रशिक्षण

महिलाओं के अस्तित्व विषयक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर ‘अवाज’ सन् १९८३ से काम कर रहा है। गुजरात के सामाजिक कार्यकर्ता अपने यहां मुसीबत में फंसी महिलाओं की समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं। पिछली सदी के तीसरे दशक से सलाह (काउंसलिंग) और आवास के क्षेत्र में इस संदर्भ में काम होता रहा है। वे परिवार पर ध्यान केंद्रित करते थे पर पुरुष वर्ग के आधिपत्य के बारे में नहीं सोचते थे। इससे उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में विकल्प नहीं दिये थे, अतः अप्राकृतिक मौत से मरने वाली स्त्रियों की संख्या बढ़ती ही गई थी।

पिछली सदी के १९८० वाले दशक के प्रारंभ में जब ‘अवाज’ द्वारा हस्तक्षेप की शुरूआत हुई, तब नारीवादी विचारधारा उसकी पृष्ठभूमि में थी। इसके अतिरिक्त, १९८३ में भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) में धारा-४९८ जोड़ी गइ थी, ताकि कानूनी सुधार स्त्रियों के पक्ष में हो, यह मुद्दा भी था। मुसीबत में फंसी स्त्रियों को मदद देने के लिए ‘अवाज’ द्वारा सलाह (काउंसलिंग) देने की शुरूआत की गई। उसमें परिवार के बजाय केंद्र में स्त्री थी। स्त्री के पक्ष में सलाह विषयक विचारणा पर लगभग एक दशक तक विवाद होता रहा। १९९५ में राज्य सरकार के पैसों से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलने वाले परिवार सलाह केंद्रों (एफ.सी.सी.) के ५२ सलाहकारों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उनको महिला-केंद्री या महिलोन्मुखी सलाह के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इसी भांति उन्हें मुसीबत में फंसी महिलाओं को भारतीय दंड संहिता की धारा-४९८ ए के अधीन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए मदद करने का प्रशिक्षण दिया गया। तीन वर्षों की अवधि में दो बार यह प्रशिक्षण दिया गया। हर बार सलाहकारों को मुख्य समस्याएं पीड़ा देती थी : एक तो गैर-सरकारी संगठन के वरिष्ठ संचालक उन्हें मुसीबत में फंसी महिलाओं को सम्पूर्ण समर्थन देना नहीं चाहते थे, और दूसरे, पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से भी इनकार किया था।

परिवार सलाह केंद्रों के सलाहकारों के प्रशिक्षण के साथ-साथ ‘अवाज’ द्वारा राज्य की सहायता से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित ९६ कानूनी सहायता केंद्रों के सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी हाथ में लिया गया था। वह भी तीन वर्षों तक प्रति वर्ष दो बार आयोजित किया गया। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वही समस्याएं बताईं जो समस्याएं सलाहकारों ने बताई थीं।

जो गैर-सरकारी संगठन परिवार सलाह केंद्र और कानूनी सहायता केंद्र चलाते हैं, उनके वरिष्ठ संचालकों के साथ ‘अवाज’ ने बातचीत करना निश्चित किया। बारबार निमंत्रण भेजे जाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। गैर-सरकारी संगठनों में जिनकी कोई आवाज नहीं थीं, ऐसे युवा व्यक्तियों को ही भेजा जाता।

पुलिस को महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना भी जरूरी लगा। गुजरात में पुलिस के साथ महिलाओं की समस्याओं के संबंध में कार्यशालाएं आयोजित करने का ‘अवाज’ द्वारा प्रयत्न किया गया और उसके लिए स्वीकृति भी मिली। जनवरी १९९८ से २००० के अंत तक समग्र गुजरात में ऐसी कार्यशालाएं ‘अवाज’ के द्वारा आयोजित की गईं। विशेष रूप से इन कार्यशालाओं में पुलिस को इस संबंध में संवेदनशील बनाने का प्रयास किया गया

तालिका १
गुजरात में महिलाओं की अप्राकृतिक मृत्यु

वर्ष	मृत्यु संख्या	रोज की अनुमानतः
१९८८	४,११६	११.२७
१९८९	४,२४५	११.६५
१९९०	३,९८६	१०.९२
१९९१	३,८६२	१०.५८
१९९२	४,०१६	११.००
१९९३	४,५२१	१२.३८
१९९४	४,८३८	१३.२५
१९९५	५,११२	१४.००
१९९६	५,१६४	१४.१५
१९९७	५,५२५	१५.१४
१९९८	६,३४९	१७.३९
१९९९	६,१३५	१६.०८
२०००	५,५८३	१५.०३
२००१	४,९२४	१३.४९
२००२	४,६७२	१२.८०
२००३	४,७४९	१३.०१
२००४	४,६३१	१२.६८

स्रोत : गुजरात पुलिस, पुलिस भवन, गांधीनगर

तालिका २
भारतीय दंड संहिता की धारा-४९८ के अधीन गुजरात में दर्ज किये गए अपराध

वर्ष	महिलाओं की शिकायतों की संख्या	महिलाओं की रोज की शिकायतें (प्रतिशत में)
१९८८	४७९	१.३१
१९८९	८९९	२.४६
१९९०	८२२	२.२५
१९९१	१,०९७	३.००
१९९२	१,५७६	४.३२
१९९३	१,५४०	४.२२
१९९४	१,५९६	४.३७
१९९५	१,९५०	५.३४
१९९६	२,५४५	६.९७
१९९७	२,४१५	६.६२
१९९८	२,९८९	८.१९
१९९९	३,२७६	८.९७
२०००	३,५६३	९.७६
२००१	३,१९१	८.७४
२००२	२,८६६	७.८५
२००३	३,१८५	८.७२
२००४	३,७८१	१०.३५

स्रोतः गुजरात पुलिस, पुलिस भवन, गांधीनगर

कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा-४९८ के अधीन स्त्रियों की शिकायतें दर्ज करें ताकि वे अप्राकृतिक मौत न मरें।

पुलिस की प्रतिक्रिया

मृत्यु की दर बढ़ रही थी। प्रतिवर्ष अधिक से अधिक महिलाएं जल कर, विष खाकर या गहरे पानी में डूब कर मर रही थीं। परंतु इस लेख के साथ दी गई तालिका में बताया गया है कि पुलिस ने पति द्वारा सताये जाने की महिलाओं की शिकायतों दर्ज करना शुरू किया कि तत्काल अप्राकृतिक मौत मरने वाली महिलाओं की संख्या घटने लगी। १९९९ से उसमें कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई। १९९८ में अनुमानतः रोज की १० मौतें दर्ज होती थीं, पर १९९९ से इस संख्या में कमी आती गई और २००२ से २००४ के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि अब इसमें वृद्धि नहीं हो रही है और अप्राकृतिक मौत मरने वाली स्त्रियों की संख्या बहुत कम हो गई है। इसके आधार पर 'अवाज' इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि -

(१) महिलाओं की अप्राकृतिक मृत्यु के कारणों का विश्लेषण और उसे रोकने हेतु अपनाई गई पद्धतियां ऐसी मृत्यु को घटाने में उपयोगी और फलदायी सिद्ध हुई हैं।

शेष पृष्ठ 22 पर

पत्थर खोदने के काम के खिलाफ ग्रामजनों के आंदोलन की जीत

गुजरात के सौराष्ट्र अंचल में ओखा मंडल तहसील के एक गांव के नागरिकों ने खुदाई कार्य के विरुद्ध आवाज उठाई और अंत में उनकी जीत हुई। पत्थर खोदकर निकालने और काटने के काम से खेती और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ ग्रामजनों द्वारा किये गए आंदोलन के कारण अंततः सत्ताधिकारियों को खुदाई के लिए दिया गया भाड़ा-पट्टा रद्द करना पड़ा है। इस आंदोलन और समग्र परिस्थिति का चित्रण **श्री हेमंतकुमार शाह** द्वारा इस लेख में किया गया है।

प्रस्तावना

गुजरात के जामनगर जिले की ओखामंडल तहसील का समुद्री पर्यावरण नाजुक है। पोरबंदर से द्वारका तक के लगभग १०० कि.मी. लंबे पट्टे में सागर तट की चट्टानों से पत्थर खोदने का काम कराये जाने से पर्यावरण और खेती के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। सरकारी इजाजत के साथ और इजाजत बिना चूने के पत्थर की जो खुदाई का काम किया जा रहा है उसने समुद्र तट पर जो कुदरती दीवार खड़ी है उसे नुकसान पहुंचाया है।

चूने के पत्थर की चट्टानें समुद्री पानी को जमीन में घुसने से रोकती हैं, जिसके कारण पानी में खारेपन का बढ़ना या आना रुकता है। अतः चट्टानें समाप्त होने से पेयजल खारा होगा और खेती को भी नुकसान पहुँचेगा। इस अंचल में असंख्य गैरकानूनी खदानें हैं। यद्यपि सरकारी अधिकारी इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। 'कोस्टल रेग्युलेशन जोन' (सीआरजेड) के नियमानुसार सागर तट से ५०० मीटर की दूरी पर खदान होनी चाहिए। पर खदानें सागर तट से कितनी दूर हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि खदानें ऊंचे इलाके में हैं या नीचे इलाके में।

यदि चूने के पत्थर की चट्टानें अधिक ऊंचे विस्तार में हों और खुदाई काम हो तो उस क्षेत्र की ऊंचाई घटती है और इस तरह कुदरती अवरोध नष्ट होता है। भूगर्भशास्त्री कहते हैं कि 'कोस्टल रेग्युलेशन जोन' का उद्देश्य खुदाई के काम के लिए समुद्र से खदान का अंतर सुनिश्चित करना नहीं है। इसका उद्देश्य तो समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना है और इसे नुकसान पहुँचाने वाली कोई भी प्रवृत्ति नहीं होने देनी चाहिए।

जो लाइम स्टोन इस क्षेत्र में मिलता है, वह अपने भीतर मीठे पानी का संग्रह करने वाला है। खुदाई के द्वारा उसे खोदा जाता है तो समुद्र का पानी अंदर तक चला जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि सोमनाथ से द्वारका तक की समग्र पट्टी में पेयजल की

गुणवत्ता नीचे गई है। अधिकांश इलाकों में पेयजल स्वाद में खारा ही होता है। द्वारका और ओखा क्षेत्र के अनेक गांवों में समुद्र भीतर घुस गया है, जिसका कारण भी यही है। लगभग २५ कि.मी. लंबी पट्टी में लगभग ६०० फुट तक समुद्र जमीन में घुस गया है। जामनगर जिले की ओखामंडल तहसील के सागरतटीय बरडिया गांव के लोगों ने अपनी शक्ति का परिचय दिया है और सरकार द्वारा चूने के पत्थर मशीन से काटने के लिए जो भाड़ा-पट्टा दिया था उसको रद्द करने के लिए सरकार को मनवाया। जन आंदोलन के कारण सरकार को बार-बार अपने निर्णय बदलने पड़े हैं, अतः पुनः सरकार को ऐसा निर्णय लेने से पहले अनेक बार विचार करना चाहिए।

जमीन का भाड़ा पट्टा देने और रद्द करने की कार्यवाही

जामनगर के कलक्टर कार्यालय की खनिज शाखा द्वारा बरडिया निवासी श्री वीरभाई हमीरभाई नागेश को पांच वर्ष के लिए क्वोरी भाड़ापट्टे पर दी गई थी। फिर जमीन को मापा गया था और सर्वे नं.९६/१ और सर्वे नं.९६/२ की जमीन देने के लिए दिनांक २८.८.१९९७ को आदेश किया गया। तदुंपरात २०.९.२००४ को निर्धारित नमूने 'घ' के अनुसार एक अनुबंध किया गया।

इस समग्र प्रक्रिया के दौरान बरडिया के ग्रामजनों ने लीज़ का विरोध किया था क्योंकि उससे गांव के पर्यावरण को हानि पहुंची थी। बरड़िया की ग्राम पंचायत और किसानों ने भी इस विरोध में अपना स्वर मिलाया था। मात्र जमीन को ही नहीं, वरन् स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचे ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई थी। जामनगर के सांसद ने भी इस विरोध के बारे में सक्षम सत्ताधिकारियों अपना पक्ष प्रस्तुत किया था।

लोगों के विरोध और विविध शिकायतों को ध्यान में लेते हुए कलक्टर कार्यालय की खनिज शाखा ने दिनांक १.६.०५ को भी वीराभाई हमीरभाई नागेश को एक कारण बताओ नोटिस दिया था। इस नोटिस में बताया गया था कि लीज क्षेत्र में खुदाई का काम करते समय पत्थर का चूरा न उड़े, तदनुसार काम करने की शर्त पर द्वारका के तहसीलदार द्वारा लीज क्षेत्र का कब्जा दिनांक ६.३.२००५ को सौंपा गया था। परंतु जामनगर के गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने उस स्थान का निरीक्षण किया तो उन्हें निम्न कमियां देखने को मिली :

(१) खदान में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई उपाय नहीं किया गया।

(२) खदान में से खुदाई करते समय धूल के रजकण उड़ते हैं और वे आसपास के मकानों की छतों-छप्परों पर तथा आसपास के पेड़-पौधों पर चिपक जाते हैं।

(३) खेती की जमीन पर उगी फसलों को इस धूल के रजकणों से नुकसान होता है।

(४) आसपास के निवासियों के स्वास्थ्य को उनसे खतरा संभव है।

(५) नियमानुसार मशीन से चलने वाली खदानों के लिए गुजरात प्रदूषण बोर्ड से अनिवार्यतः मंजूरी लेनी होती है, जो नहीं ली गई।

उपर्युक्त बातें लिख कर इस कारण बताओ नोटिस में आगे बताया गया था कि गुजरात गौण खनिज नियम ६६ के अनुबंध पत्र भाग-७ के नियम-१३ की तथा पर्यावरण संबंधी शर्तों को भंग किया गया है, अतः लीज रद्द क्यों नहीं कर दी जाए, ऐसा प्रश्न पूछ कर श्री वीराभाई हमीरभाई नागेश को दिनांक ८.६.२००५ को कलक्टर कार्यालय में रूबरू अपनी बात कहने के लिए बुलाया गया था। परंतु वे स्वयं उस तिथि पर उपस्थित नहीं हुए। उनके भाई श्री घनाभाई हमीरभाई ने यह अनुरोध किया कि वे बीमार हैं, अतः उन्हें समय दिया जाए, पर बीमारी को लेकर उन्होंने कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया।

इसके परिणामस्वरूप कलक्टर कार्यालय की खनिज शाखा ने दिनांक १३.६.२००५ को आदेश देकर तत्काल प्रभाव से जमीन का भाड़ा-पट्टा रद्द कर दिया। आदेश में व्यक्त बातें इस प्रकार थीं :

(१) खान का भाड़ा-पट्टा प्राप्त करने वाले के द्वारा गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पत्थर की इस खदान में खुदाई का काम करने के लिए कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया या बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।

(२) हवा में प्रदूषण न फैले, इसके लिए किसी भी तरह के साधन नहीं लगाये गए थे। इसके अतिरिक्त खुदाई करते समय पानी का छिड़काव भी नहीं किया जाता था।

(३) पत्थर खोद कर निकालने और पत्थर काटने के काम की वजह से उड़ते धूल के रजकणों से फसल को नुकसान होता है।

(४) अनुबंध के भाग-७ के नियम-१३ के अनुसार भाड़ा-पट्टा रखने वाला पत्थर की खुदाई से संबंधित और काम पर रखने वाले नौकरों अथवा लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य व सुविधा संबंधी नियमों की व्यवस्था की अनुपालना हेतु बंधा है। पर ऐसी व्यवस्था का पालन नहीं किया गया।

(५) जमीन का कब्जा सौंपते समय पत्थर खोदते व काटते समय पत्थर का बुरादा न उड़े, तदनुसार काम करने की शर्त रखी गई थी। परंतु पट्टेदार ने उस तरह से व्यवहार नहीं किया और पत्थर काटने का काम इस तरह किया कि जिससे लोगों के स्वास्थ्य तथा खेती की उपज को नुकसान पहुँचे।

ग्रामजनों का आंदोलन

ओखा मंडल तहसील का बरडिया गांव द्वारका से आठ कि.मी. दूर जामनगर के मुख्य मार्ग पर स्थित है। उसमें लगभग २५०० की आबादी है। गांव में ज्यादातर वाघेर, हरिजन, रेबारी, बावाजी और देवीपूजक जातियों के लोग और सिंधी मुसलमान रहते हैं। ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती, छुटकर मजूरी और गजिया पत्थर काटना है। वर्षों से लोग हाथ के औजार से पत्थर काटकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। गांव में पत्थर काटने का जो काम हुआ, उससे बहुत समस्याएं खड़ी हुई।

पत्थर की खदान के पास रहने वाले किसान श्री समियाभा जीवणभा से यह बात झांसापट्टी देकर कबूल करवा ली गई कि इस खान से उनको कोई नुकसान नहीं होता, उनसे कहा गया कि भाड़ा-पट्टा रद्द हो गया, इसलिए तुम्हारे दस्तखत जरूरी हैं। पत्थर की खान के पास लगभग २०० दलित किसानों की जमीनें हैं। देवुभा जीवणभा नामक एक किसान ने कहा था कि हम शिकायत करते, तब सिर्फ १५-२० दिन खुदाई का काम बंद रहता और मशीनें बंद रहतीं। लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर से काम शुरू हो जाता। मशीन से पत्थर काटते समय बहुत धूल उड़ती है और वह जाकर खड़ी फसल पर जम जाती है।

दूसरी एक किसान महिला ने कहा था कि, मेरे खेत से सालाना २५ हजार रु. की ककड़ी बिकती थी, पर इस वर्ष एक रुपया भी नहीं मिला। कपास भी सिर्फ ३० हजार रु. की हुई, जो सालाना लगभग १ लाख रु. की होती थी। हम भोजन करने बैठें तो थाली में दो मिनिट में ही धूल की परत जम जाती है, हम क्या करें?

ओखा और द्वारका क्षेत्र के अनेक गांवों में ये समस्याए हैं, पर यही एक गांव ऐसा है जिसने लापरवाही से होने वाले खुदाई के काम के खिलाफ आवाज बुलंद की और जीत हासिल की।

हकीकत में तो, खुदाई के काम का भाड़ा-पट्टा श्री वीराभाई हमीरभाई नागेश के नाम दिया गया था, परंतु वास्तव में उनके भाई श्री धनाभाई नागेश ही वह काम करते थे। वे आर्थिक दृष्टि से सशक्त और राजनीतिक संबंध रखने वाले व्यक्ति थे। इस कारण उनके सामने आवाज उठाने में भी लोग डरते थे। द्वारका का 'ग्राम्य विकास ट्रस्ट' इस गांव में एक महिला मंडल चलाता है। इस महिला मंडल ने गत २१ मार्च से बड़े संघर्ष की शुरूआत की। संघर्ष का नेतृत्व महिला मंडल की नेता पुरी बहन जीवणभाई ने संभाला। इसी बीच गांव में ग्राम सभा के आयोजन की घोषणा हुई। पर गांव में बहुत कम लोगों को उसकी जानकारी था। पुरी बहन ने रातों-रात गांव की तमाम महिलाओं की ग्राम सभा की जानकारी दे दी।

दूसरे दिन बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं ग्राम सभा में उपस्थित हो गईं। इससे धनाभाई ने ग्राम सभा में महिलाओं और पुरीबहन को बहुत धमकिया दीं। बाद में उन्हें रुपये देने और मकान बनवा कर

देने के लालच दिये गए। पर महिलाएं डिगी नहीं। २४ अप्रैल को बरडिया की महिलाएं और किसान द्वारका में तहसीलदार कार्यालय पर उपवास पर जा बैठे। ओखामंडल तहसील के महिला संगठन ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया।

संगठन की काफी महिलाओं ने उपवास के दौरान हाजरी दी। तहसीलदार और कलक्टर ने आंदोलनकारियों से उपवास छोड़ देने के लिए बहुत समझाया, पर वे नहीं माने। कलक्टर के अलावा विधानसभा सदस्य, संसद सदस्य और तहसील पंचायत के प्रमुख के सामने भी इस समस्या को प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त इस समस्या को अधिक प्रसिद्धि देने के लिए दिनांक ८.५.२००५ को अहमदाबाद में एक पत्र-परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्रकार परिषद को बरडिया गांव के अग्रणी श्री पाचाभाई जेसाभाई और श्री समेयाभा जीवणभा ने संबोंधित किया। अनेक हिन्दी, गुजराती व अंग्रेजी अखबारों ने इस समस्या को विस्तार के साथ प्रकाशित किया। उल्लेखनीय बात यह थी कि भारतीय किसान संघ ने भी इस संघर्ष को समर्थन की घोषणा की थी। दिनांक ६.६.२००५ को जामनगर के कलक्टर कार्यालय के सामने भी प्रदर्शन आयोजित किया गया था।

इस दौरान, जिनके नाम भाड़ा-पट्टा जारी किया गया था, उन श्री वीराभाई ने खंभालिया की निचली अदालत में शिकायत की थी। इस शिकायत संबंधी केस के चलने में बहुत विलंब हो चुका था। दिनांक १०.५.२००५ से दिनांक २०.६.२००५ तक की समयावधि में तो इस अदालत में पांच न्यायाधीश बदले जा चुके थे। फिर, २०.६.२००५ को अदालत ने एक अंतरिम आदेश जारी करके व्यक्त किया कि किसी भी तरह के खुदाई-कार्य या पत्थर निकालने की खोदने की प्रक्रिया नहीं की जाए, न दूसरों से करवाई जाए। बरडिया गांव के ग्रामवासी इस केस में अंतिम चरण में साथ हुए थे।

इस प्रकार बरडिया ग्रामवासियों की दो तरह से जीत हुई। एक तो कलक्टर ने लीज रद्द की और दूसरे अदालत ने मनाही का अंतरिम आदेश दे दिया। बरडिया गांववासियों ने वास्तव में सोमनाथ से द्वारका तक के सागर तट की समस्या के समाधान हेतु स्थानीय लोगों को एक नया रास्ता दिखा दिया।

पृष्ठ 18 का शेष भाग

(२) महिलाओं की अप्राकृतिक मृत्यु के विषय में भी चिंता करने की जरूरत है। इसके लिए अधिक सहयोगी व सक्रिय प्रयास की जरूरत हैं।

'अवाज' के द्वारा सोचे गए उपाय

(१) यही पद्धतियां अब भी उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। इनमें कुछ और उपाय जोड़े जा सकते हैं। जैसे मृत्यु के बाद जांच का प्रतिवेदन तैयार करने वाले चिकित्सा विभाग के व्यक्तियों को और मरणासन्न महिलाओं के मरणोन्मुख बयानों को दर्ज करने वाले एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को महिलाओं के प्रति संवदेनशील बनाना। इसके अलावा, पुलिस स्टेशन आफीसर (पी.एस.ओ.) के रूप में विख्यात निचले स्तर के पुलिसमैन को भी महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाना, जो महिलाओं को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देते हैं।

(२) परिवार सलाह केंद्रों के सलाहकारों और कानूनी सहायता केंद्रों के सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुनः प्रशिक्षण देना। कारण यह कि इनमें वेतन कम होने की वजह से कार्यकर्ता बदलते रहते हैं। उनमें ज्यादातर शिक्षित बालिकाएं आती हैं और वे विवाह होने तक ही नौकरी करती हैं। हालांकि, मुसीबत में फंसी स्त्रियां उनके पास सहायता के लिए जाती हैं, अतः उनके द्वारा ही इस काम को गति मिलनी चाहिए।

(३) अभ्यासक्रम में महिलाओं संबंधी समस्याएं शामिल की जाएं और पुलिस में सभी स्तरों पर भर्ती हेतु उनका क्रियान्वयन करने के लिए समर्थन किया जाए। यह एक नीतिगत प्रश्न है और सरकार के गृह विभाग के अधिकारियों तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ इस समस्या पर चर्चा की जाए।

गतिविधियाँ

'स्थलांतरित आदिवासी श्रमजीवियों की समस्याएं और समाधान' के विषय में कार्यशाला

अहमदाबाद के 'निर्माण कार्य मजदूर संगठन' और सूरत के 'सेंटर फोर सोशियल स्टडीज' के संयुक्तावधान में दिनांक २८.६.०५ को सूरत में 'स्थलांतरित आदिवासी श्रमजीवियों की समस्याएं और समाधान' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला में इन विषयों पर चर्चा की गई थी :

(१) आदिवासी अंचलों में रोजगार और विकास संबंधी परिस्थिति

(२) स्थलांतरित आदिवासी श्रमजीवियों की परिस्थितिः क्षेत्रीय अवलोकन

(३) आदिवासी श्रमजीवियों को संवैधानिक और कानूनी रक्षण : व्यवस्थाएं और वास्तविकता। इस कार्यशाला में लगभग ६५ कार्यकर्ता, वकील और विद्वद्जन उपस्थित थे। सबकी अनुमति से कार्यशाला के अंत में गुजरात राज्य सरकार से जो अनुशंसाएं करना तय रहा, वे इस प्रकार हैं :

१. स्थलांतरित होने वाले श्रमजीवियों का पंचायत स्तर पर पंजीकरण

राज्य की पूर्व पट्टी में से होने वाले स्थलांतरण का दस्तावेजीकरण नहीं होता। अतः स्थलांतरण किस क्षेत्र में से होता है, किस उद्योग में होता है, कितनी संख्या में होता है और कितने समय के लिए होता है, इसका पंजीकरण प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनिवार्यतः होना चाहिए। ग्राम से स्थलांतरण करने से पहले श्रमिक का ग्राम पंचायत में उसका उल्लेख कराना चाहिए। अनिवार्य पंजीकरण प्रथा शुरू किये जाने से सांख्यिकीय एवं अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से तो लाभ होगा ही, परंतु प्राकृतिक या मानव सर्जित संकटों की दशा में शिकार होने वाले श्रमिकों को अनेक प्रकार की सहायता मिल सकेगी।

२. स्थलांतरित श्रमिक सहायता केंद्र शुरू करना

जिन क्षेत्रों में से श्रमिक स्थलांतरण करते हैं उन क्षेत्रों में श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक सहायता केंद्र शुरू करने चाहिए। इन केंद्रों में श्रमिकों का नामोल्लेख हो, परिचय पत्र, रोमिंग राशन कार्ड, बालकों के टीकाकरण के कार्ड भी मिलते रहना चाहिए। इस केंद्र में विविध शहरों में रोजगार की स्थिति के बाबत जानकारी मिले। स्थलांतरण के स्थान पर श्रमिक मुसीबत में पड़ जाए तो किससे सम्पर्क करें, उसका विवरण और जिस प्रकार का काम करने जा रहा हो, उस काम का न्यूनतम वेतन मिले। शारीरिक-आर्थिक शोषण के मामले में किसकी मदद ली जाए, उस संबंध में तथा संदेश व्यवहार की सुविधा होनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था से शहर में पुलिस-परेशानी को टाला जा सकेगा।

३. स्थलांतरित श्रमिकों हेतु शहरों में रैन बसेरे

शहर में काम चलाऊ या मौसमी स्थलांतरण करने वाले और अपने ढंग से रोजगार करने वाले श्रमिकों के लिए आवास की बड़ी विकट समस्या है। शहर में पशु की हालत में रहने वाले श्रमिकों के लिए रात बिताने हेतु रैन बसेरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह व्यवस्था श्रमिकों को आर्थिक दृष्टि से पोसाने जैसी दर पर और वे जब तक काम करें, तब तक रह सकें, ऐसी होनी चाहिए।

४. शहरों में किराया-क्रय पद्धति से आवासीय स्थान देना

जो श्रमिक वर्षों से स्थायी हो गये, और मात्र वार-त्यौहार या खेती के काम से अस्थाई रूप से वतन वापिस जाते हैं, उनके लिए पक्के आवासों की व्यवस्था किराये-क्रय पद्धति पर करनी चाहिए।

५. पानी की व्यवस्था

खुले मैदानों या फुटपाथ पर डेरा डाल कर रहने वाले मजदूरों को पानी नहीं मिलता। पानी की एक मटकी के लिए झगड़ा करना पड़ता है। कभी तो उसकी वजह से रोजगार भी गंवाना पड़ जाता है। राज्य सरकार को सामाजिक संस्थाओं की मदद लेकर शहर में जहां-जहां आदिवासी समूह में पड़ाव डालकर रहते हों, वहां टैंकर द्वारा पानी पहुंचाना चाहिए।

६. राहत दर पर अनाज वितरण की चलती-फिरती 'कल्पतरु' दुकान

राज्य सरकार ने हाल ही में पंचमहाल-दाहोद व बड़ौदा जिले में से स्थलांतरित होने वाले आदिवासी श्रमिकों को शहर में बाजार से ऊंचे भाव पर अनाज खरीदना न पड़े, वरन् राहत दर पर अनाज मिल जाए, इसके लिए रोमिंग राशन कार्ड की योजना क्रियान्वित की है जो स्वागत योग्य है। इस योजना को कागजों में न रखकर प्रभावी बनाना चाहिए। राज्य सरकार ने चालू वर्ष में इस योजना के हेतु चार लाख रु. आवंटित किये हैं। उसमें वृद्धि करके 'कल्पतरु' जैसी अनाज वितरण की चलती-फिरती दुकानों द्वारा शहरों में जो आदिवासी श्रमिक समूह करते हैं, वहां अनाज व अन्य जरूरी वस्तुएं राहत मूल्य पर दिये जाने का काम करना चाहिए।

७. बालकों को शिक्षण के अवसर से वंचित न होने देना

परिवार के साथ स्थलांतरित होने का सबसे बुरा असर बालकों के भविष्य पर पड़ता है। यदि पांच लाख श्रमिकों के साथ पढ़ने की उम्र वाला बालक साथ आता हो तो प्रति वर्ष इतने बालक शिक्षण के अवसर से वंचित रह जाते हैं। आदिवासी क्षेत्र में बालकों के लिए शिक्षण प्राप्त करने की अनेक योजनाएं अमल में हैं, शालाएं हैं, आश्रम शालाएं हैं। परंतु काम के दौरान दूध पीते बच्चों को संभालने की सुविधा के अभाव में बड़े बालकों को साथ ले जाने के कारण इस समग्र क्षेत्र में शिक्षण का प्रमाण बहुत कम है। शहर में साथ आने वाले बालक निरक्षर न रहें, इसके लिए शहर में बाल शिक्षण केंद्र, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी द्वारा बालकों को शिक्षण के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा जिन बालकों ने शाला छोड़ी है, उनको ब्रिज कार्ड देकर जहां-जहां स्थलांतरण करें वहां-वहां पास की शाला में भर्ती करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

८. चल शौचालयों की व्यवस्था

शहरों में स्थलांतरित आदिवासी श्रमिकों के लिए शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। शहरों में चल शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। इस व्यवस्था के उपयोग हेतु टोकन मूल्य चुकाना पड़े भी तो वह पोसाने जैसा होना चाहिए।

श्रम कानूनों का सख्ती से अमल

१. स्थलांतरित आदिवासी श्रमिकों का काम के दौरान शोषण न हो। मजदूर के रूप में तमाम अधिकार प्राप्त हों, इसके लिए खास प्रयत्न होने चाहिए। स्थलांतरित आदिवासी मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को निम्नानुसार श्रम कानूनों का संरक्षण मिले :
   - लघु वेतन वृद्धि - १९४८
   - समान वेतन कानून - १९७६
   - कांट्रेक्ट लेबर एक्ट - १९७०
   - द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट - १९९६
   - द इंटर-स्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट - १९७९

   उपर्युक्त कानूनों का यदि सख्ती से पालन कराया जाए तो आदिवासी श्रमिकों का शोषण बंद हो सकता है। न्यूनतम वेतन कानून के उल्लंघन के मामले में सहायक श्रम कमिश्नर को केस चलाने की और न्यायिक समाधान करने का अधिकार मिलना चाहिए।

२. द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेल्फेयर सेस एक्ट - १९९६ के अनुसार निर्माण कार्य व्यय के १ प्र.श. द्वारा एकत्रित होने वाले कल्याण कोष का अधिकतम उपयोग स्थलांतरित आदिवासियों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु किया जाए। निर्माण कार्य क्षेत्र में ६० प्र.श. से अधिक श्रमिक आदिवासी हैं अतः इस कोष के अधिकतम उपयोग द्वारा कल्याण का उपयोग काम किया जा सकेगा।

३. मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्यों में से आने वाले आदिवासी श्रमिकों को इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट का लाभ कानून में रह गई बुनियादी खामियों के कारण नहीं मिलता। इस कानून में ठेकेदार श्रमिकों को दूसरे कोष के अधिकतम उपयोग द्वारा कल्याण का लाभ दे सकेगा।

४. कांट्रेक्ट लेबर एक्ट - १९७० और द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट - १९९६ में श्रमिकों को काम के स्थान पर रहने, शौचालय, नहाने-धोने की व्यवस्था, पेयजल, कैंटीन,

पालनाघर की सुविधा देने की व्यवस्था है। इस प्रकार की व्यवस्थाओं का अनिवार्यतः अमल कराने के कदम उठाने चाहिए।

५. एट्रोसिटी एक्ट स्थलांतरित आदिवासी श्रमिकों पर होने वाले अत्याचार व शोषण रोकने का अत्यंत प्रभावी कानून है। इस कानून द्वारा मिलने वाले संरक्षण की श्रमिकों को जानकारी होनी चाहिए।

६. स्थलांतरित श्रमिक पुलिस-त्रास के बार-बार शिकार बनते हैं। शहर में सेंध लगाकार चोरी की वारदात हो या सुलह-शांति स्थापित करने के बहाने हिरासत में रखना हो तो शहर की पुलिस आदिवासी श्रमिकों को ही पहला निशाना बनाते हैं। इस तरह के त्रास को रोकने के लिए उच्च स्तर से शहरी पुलिस को सूचना भेजनी चाहिए।

७. राज्य सरकार को निर्माण कार्य के अलावा अन्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की काम की दशा सुधारने, रोजगार का नियमन करने तथा सामाजिक सुरक्षा तंत्र प्रदान करने के लिए अलग कानून बनाना चाहिए। इस प्रकार का कानून बनाने के लिए द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा अनुशंसा की गई है।

विस्तृत जानकार हेतु सम्पर्क करें : श्री विपुल पंड्या, महामंत्री, निर्माण कार्य मजदूर संगठन, १५ मानसरोवर काम्पलेक्स, रेड क्रॉस सोसायटी हॉस्पिटल के सामने, आश्रम रोड, जूना वाडज, अहमदाबाद ३८० ०१३, टेलिफेक्स ०७९-२७५५२७४१.

बीज विधेयक - २००४

केंद्र सरकार ने बीज विधेयक-२००४ राज्यसभा में ९-१२-२००४ को पेश किया है। मार्च २००५ में यह विधेयक कृषि मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है। इसके अध्यक्ष लोकसभा के समाजवादी पार्टी के सदस्य प्रो.रामगोपाल यादव हैं। लोकसभा सचिवालय ने १५.५.२००५ को इस विधेयक के बारे में मंतव्य मांगने संबंधी एक विज्ञापन दिया था। उसमें १५ जून २००५ तक मंतव्य मांगे गए थे।

हालांकि इस स्थायी समिति से सम्बद्ध एक उप सचिव ने कहा था कि इस बाबत सार्वजनिक सुनवाई निकट भविष्य में आयोजित करने का कोई आयोजन नहीं है। इस विज्ञापन में जो दावा किया गया है उससे नितांत विरुद्ध इस विधेयक का उद्देश्य किसानों को बीज की बचत करने से रोकना है। यह जरूरी है कि गुणवत्ता वाला बीज मिले और इसीलिए यह विधेयक लाया गया है, ऐसा दावा किया गया है। पर १९६६ के बीज के कानून के अनुसार बीज का परीक्षण व प्रमाणन होता ही है। इस कानून के अधीन अलग-अलग राज्यों में २० प्रयोगशालाएं बीज परीक्षण हेतु कार्यरत हैं और प्रमाणन संस्था के रूप में नौ बीज निगम काम करते हैं।

विश्व बैंक के दबाव तले १९८८ में बीज नीति आई और उसमें बीज अवाप्ति की सार्वजनिक क्षेत्र की हमारी मजबूत व्यवस्था तोड़ने की शुरूआत हुई। वह २० प्रतिशत बीज उपलब्ध कराती थी। वैश्वीकरण से पहले ८० प्रतिशत बीज किसानों की अपनी जाति के थे। किसान खुद वे बीज बचाते थे, उनका विनिमय करते थे और उनका उत्पादन करते थे। बीजों का उत्पादन और नियमन मुक्त रूप से होता था और हमारी अन्न सुरक्षा उससे निर्मित थी।

२००४ के बीज विधेयक का उद्देश्य बचाये गये बीजों का स्थान निजी बीज उद्योग ले, ऐसी व्यवस्था करना है। विधेयक में बार बार 'वस्तु विनिमय' (बार्टर) शब्द का उपयोग किया गया है। उसका उद्देश्य किसानों के पारस्परिक विनिमय को रोकना है। समुदाय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पन्न हों और प्रदान किये जाएं, ऐसी व्यवस्था थी ही।

विधेयक में बीज़ का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और बीज इंस्पेक्टर किसान के घर में प्रविष्ट हो सकता है, जांच कर सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। यह इंस्पेक्टर किसी भी डिब्बे को तोड़कर देख सकता है और कोई भी दरवाजा तोड़ कर मकान में घुस सकता है, जांच कर सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई है।

इस प्रकार यह इंस्पेक्टर बीज हेतु पुलिस की तरह व्यवहार करेगा

और किसानों को तंग करेगा। जो जैव-वैविध्य का यत्न करते हैं और स्वावलंबी खेती करते हैं, ऐसे किसान भी बीज पुलिस की चपेट में आ जायेंगे। यदि कोई किसान दूसरे किसान को बीच बेचे और अपंजीकृत बीज बेचे, तो उस किसान पर २५००० रु. तक का जुर्माना हो सकता है। पर यदि किसी कंपनी का बीज निष्फल जाता है या भूमि-रूपांतरित फसल से फसल प्रदूषित हो तो कंपनी को किसी भी तरह की सजा देने की व्यवस्था नहीं की गई है।

उदाहरण के तौर पर बिहार में २००३ और २००४ में मक्का की उपज निष्फल गई तो बिहार के किसानों को लगभग १००० करोड़ का नुकसान हुआ था। हर साल बीटी कपास की उपज सतत निष्फल जा रही है और किसानों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है, पर इसके बावजूद कंपनी को कोई सज़ा नहीं होगी।

नये प्रस्तावित बीज कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसान सिर्फ ग्राहक सुरक्षा कानून के अनुसार ही मुआवजे का दावा कर सकते हैं। वैसे भी यह विकल्प तो किसानों को प्राप्त है ही, पर जो केंद्रीय सत्ता मंडल गठित होगा, वह किसान को अपना बीज उगाने से रोकेगा, परंतु यदि बीज से किसानों को नुकसान हो तो किसानों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।

राज्य सरकारों की भूमिका भी नये प्रस्तावित कानून में सीमित कर दी गई है। सन् १९६६ के कानून के अंतर्गत जो केंद्रीय बीज समिति काम करती है उसमें प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि हैं। उनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि मात्र पांच राज्यों का ही प्रतिनिधित्व केंद्रीय बीज समिति में रहेगा और इन प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार करेगी।

इस प्रकार २००४ के बीज कानून के पास भारत के किसानों को देने के लिए कोई सकारात्मक बात नहीं है। उसमें तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिससे निजी बीज उद्योग का इजारा स्थापित हो। वास्तव में, अविश्वसनीय और अपुनर्प्राप्य बीजों ने देश के हजारों किसानों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया है। १९६६ के बीज कानून के अधीन सारा काम हुआ है और बीज के परीक्षण व प्रमाणन का काम कानून के अधीन चालू रहना चाहिए।

किसानों की उपज की जाति और देसी कृषि वैविध्य का उल्लेख स्थानीय जैव वैविध्य समिति द्वारा होता है। यह समिति सामुदायिक जैव वैविध्य रजिस्टर में उसका उल्लेख करती ही है। अतः पुलिस जैसी सत्ताओं वाले केंद्रीय बीज सत्ता मंडल की हमें जरूरत नहीं हैं। यदि किसी के नियमन की जरूरत है तो वह बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों को है, भारत के लघु किसानों को नहीं। किसानों के बिना तो देश अन्न की स्वाधीनता और सुरक्षा दोनों गंवा देगा।

सम्पर्क : रिसर्च फाउन्डेशन फॉर साइंस, टैक्नोलोजी एंड ईकोलोजी, नवदान्य, ए-५०, हौज खास, नई दिल्ली - ११० ०१६. फोनः ०११-२६५६१८६८, २६९६८०७७, फैक्स : ०११-२६८५६७९५, २६५६२०९३, ई-मेल : rfste@vsnl.com

अंजार में अन्न सुरक्षा विषयक सार्वजनिक सुनवाई

कच्छ जिले के अंजार में दिनांक १.७.२००५ को चंपकनगर जैनवाड़ी में अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान गुजरात के अनुसार 'प्रयास' संस्था द्वारा एक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में रापर, भचाऊ, अंजार व भुज तहसील के लगभग १५०० नागरिक उपस्थित थे, इनमें से लगभग १००० महिलाएं थीं।

'प्रयास' और 'लोक अधिकार मंच' के तत्वावधान में आयोजित इस सार्वजनिक सुनवाई में कच्छ जिले के उप जिलाधीश, जिला रसद अधिकारी और अंजार तहसील के तहसीलदार उपस्थित थे। इसके अलावा, 'आनंदी' की सुश्री सुमित्राबहन और प्रो. हेमंतकुमार शाह उपस्थित थे। उसमें उपर्युक्त चारों तहसीलों की बहनों और भाइयों ने विशेष रूप से मध्याह्न भोजन योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की त्रुटियों के विषय में और अपने अनुभवों के विषय में विचार व्यक्त किये थे।

नागरिकों के द्वारा प्रस्तुत विचारों में कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जो इस प्रकार हैं :

(१) राशन की दुकानें कुछ दिनों पर ही खुलती हैं। सभी दिनों और पूरे समय के लिए नहीं खुलतीं।

शेष पृष्ठ 29 पर

संदर्भ सामग्री

इक्कीसवीं सदी की चुनौतियां और इस्लाम

यह पुस्तक समय-समय पर इस्लाम के विषय में लेखक द्वारा लिखे गए लेखों का संग्रह है। पुस्तक के लेख मुख्य रूप से इस्लाम को मानने वालों को आधुनिक युग में सताने वाली समस्याओं और कठिनाइयों पर आधारित है। ये लेख आधुनिक समाज की समस्याओं के संदर्भ में लिखे गए हैं। लेखक आधुनिक चिंतन के लिए सुविख्यात हैं। वे पुस्तक की प्रस्तावना में लिखते हैं कि, 'कई जाने-माने इस्लामी चिंतकों का मानना है कि मुसलमानों की प्रत्येक पीढ़ी को अपने अनुभव के आधार पर कानून से सम्बद्ध मुद्दों का फिर से अवलोकन करने का अधिकार है। जो लोग मुसलमानों की नयी पीढ़ी को यह अधिकार नहीं देना चाहते और जो शरीयत को अंतिम व अपरिवर्तनीय मानते हैं वे हकीकत में तो मुसलमानों को पीछे रखने के लिए जिम्मेदार हैं।'

इस पुस्तक में १० प्रकरण हैं : (१) कुरान में न्याय की समझ और मुस्लिम जगत (२) शरीयत का कानून : सभ्य समाज और मानवाधिकार (३) धर्म, बहुत्ववाद और आधुनिक समाज (४) इस्लाम में लैंगिक समानता (५) धर्म और अंतरात्मा की स्वतंत्रता (६) मुस्लिम समाज में बुद्धिवादी क्या योगदान दे सकते हैं? (७) कुरानिक नीतिशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (८) इस्लाम और सत्ता की राजनीति (९) प्राचीन इस्लामी समाजों में हिंसा के कारण-१ (१०) प्राचीन इस्लामी समाजों में हिंसा के कारण - २

लेखकः असगर अली इंजीनियर, प्रथम आवृत्ति २००५, प्रकाशक : इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज, ९-बी, पहली मंजिल, हिमालय एपार्टमेंट्स, छठा मार्ग, सांताक्रुज पूर्व, मुम्बई ४०००५५। प्रस्तावित सहयोग २५ रु. पृष्ठ ९०।

विकास की राह पर

इस पुस्तक में 'विकास' के द्वारा हाथ में ली गई लोक विकास की प्रक्रिया के विगत २७ वर्ष के निचोड़ स्वरूप निर्वाचित व्यक्तियों के जीवन में आये परिवर्तन के दर्शन कराये गए हैं। यह परिवर्तन सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक तीनों प्रकार का है। पुस्तक में जो विवरण दिये गए हैं वे दर्शाते हैं कि स्थानीय विकास की प्रक्रिया कैसे प्रयासों की अपेक्षा रखती है।

पुस्तक में संस्था की अनाज ऋण की गतिविधि के चार किस्से दिये गए हैं। इन चारों मामलों में जरूरतमंद लोगों को अनाज ऋण की प्रवृति से कैसा सहारा मिलता है और कैसा लाभ होता है, इसका वर्णन किया गया है। याने इसमें स्थानीय मंडल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वास्तव में, इस गतिविधि ने स्थानीय स्तर पर अन्न सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास किया है, इसी भांति इसमें स्वास्थ्य हेतु ऋण के दो किस्से दिये गए हैं। स्थानीय बचत ऋण मंडल ने सेवा भावना से ऋण दिया और उससे गरीब को वांछित सुविधा प्रदान की जा सकी। इतना ही नहीं वरन् ऊंची ब्याज दर पर साहूकार से लिये गए ऋण को लौटाने में भी मंडल की ऋण विषयक गतिविधि ने भूमिका निभाई। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि स्थायी रूप से ऊंचे ब्याज के कर्जे में डूबते लोगों को इस तरह चक्कर में फंसने से रोका जा सकता है।

गृह निर्माण हेतु भी ऋण की गतिविधि चलने से गरीबों को प्राप्त होने वाले लाभ को बताने के लिए चार किस्से दिये गए हैं। इसी भांति शिक्षण हेतु और पुराने कर्जे की भरपाई करने के लिए भी बचत मंडल के द्वारा ऋण दिया जाता है। बंधुआ मजूरी कही जाने वाली चाकर-पनिहारी प्रथा गुजरात के भरूच जिले में प्रचलित है। इस प्रथा के अधीन दयनीय दशा में जीने वाले लोगों को उससे मुक्त कराने का काम 'विकास' संस्था करती है। इसके पांच किस्से इस पुस्तक में दिये गए हैं। लघु ऋण की गतिविधि से किस तरह लोग बंधुआ मजूरी की प्रथा से मुक्त होते हैं, इन किस्सों से यह जानकारी हासिल करना बड़ा रोचक लगेगा।

बंधक मुक्ति के दो किस्से भी इसमें दिये गए हैं। आर्थिक गतिविधि

करने हेतु जो ऋण दिया जाता है, उससे किस तरह लोग स्वनिर्भर बनते हैं, यह दर्शाने वाले दो मामले छुटकारे से निबटे हैं और एक मामला समाधान से निबटा है। वर्षा के पानी को संग्रह करने हेतु भूगर्भ टांके बनवाने की प्रवृत्ति से जल संकट को किस तरह दूर किया जा सकता हैं, इससे संबंधित तीन कहानियां यहां प्रस्तुत की गई हैं। वागरा, आमोद और जंबुसर तहसीलों की तीनों कथाएं बताती हैं कि स्थानीय स्तर के ये कम खर्चीले प्रयास अधिक स्थायी हैं। बचत मंडल के तीन लेखा कार्यकर्ताओं के उदाहरण भी इसमें दिए गए है। प्रशिक्षण उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाया है, यह उन्होंने दर्शाया है। प्राप्ति स्थान : विकास सेंटर फॉर डेवलपमैंट, लाजपत नगर के सामने, इशिता टावर रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद ३८० ०१४.

गुजरात ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट - २००४

यह गुजरात का प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन है। आर्थिक वृद्धि की दर और मानव विकास की गति दर दोनों के बीच नजदीकी संबंध रहें, इस हेतु व्यापक संदर्भ में और सुनिश्चित सार्वजनिक नीतियों के संदर्भ में विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। इस विचार को आधार मानते हुए यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है। भारत में अधिकांश राज्यों में मानव विकास प्रतिवेदन सरकारी लोगों द्वारा अथवा सरकार द्वारा नियुक्त कंसल्टेंट्स के समूह द्वारा लिखा जाता है। जबकि यह गुजरात मानव विकास प्रतिवेदन दो स्वतंत्र विद्वानों द्वारा लिखा गया है, पर उन्हें सरकारी अधिकारियों तथा प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों और विद्वज्जनों का सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। यह प्रतिवेदन गुजरात में नीति-निर्धारकों और विकास क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अत्यंत उपयोगी साधन-स्रोत प्रदान करता है।

इस प्रतिवेदन के प्रकरण इस प्रकार हैं : (१) मानव विकास की समझ : विभावना, घटक और मापन (२) गुजरात में विकास की गतिशीलता (३) सामाजिक क्षेत्रों पर सरकारी खर्च (४) गुजरात में पर्यावरण की स्थिति (५) स्वास्थ्य और पोषण (६) साक्षरता और शिक्षण (७) महिला विकास और अंतर (८) मानव और महिला विकास स्तर (९) राज्य में अधिक उत्तम मानव विकास की ओर। इस प्रतिवेदन में अगणित तालिकाओं और परिशिष्टों में गुजरात के मानव विकास विषय आंकड़ेबद्ध ब्यौरे दिये गए हैं। मानव विकास के आंकड़े दर्शाते हैं कि गुजरात आर्थिक वृद्धि के मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है पर वह कई मानव विकास लक्ष्यों के संबंध में पीछे है। इसे स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में अपना काम सुधारना है, शिक्षा और साक्षरता तथा राज्य में पिछड़े रह गए समूहों के विकास के क्षेत्र में भी अपना काम सुधारना है। इस प्रतिवेदन में काम के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र दर्शाए गए हैं और विकास की प्रक्रिया में सुधार सूचित किये गए हैं तथा राज्य में पिछड़े रह गए समूहों के विकास के क्षेत्र में भी अपना काम सुधारना है। इस प्रतिवेदन में काम के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र दर्शाए गए हैं और विकास की प्रक्रिया में सुधार सूचित किये गए हैं ताकि आर्थिक वृद्धि को अधिक कार्यक्षम और अर्थपूर्ण रूप से मानव विकास में रूपांतरित किया सके। गुजरात के विविध जिलों और प्रदेशों में मानव विकास की स्थिति भी इस प्रतिवेदन में जांची गई है। गुजरात के विविध जिलों हेतु विविध मानव विकास लक्ष्यों की गणना की गई है। ये लक्ष्य हमें आगामी वर्षों में स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता व महिला विकास आदि मुद्दों में हमारी प्रवृत्तियों की प्राथमिकता तय करने में उपयोगी होने चाहिए।

लेखक : इंदिरा हिरवे और डॉ. दर्शिनी महादेविया, प्रकाशक : महात्मा गांधी लेबर इंस्टीट्यूट, ड्राइव-इन रोड, मेमनगर, अहमदाबाद ३८० ०५२। फोनः ०७९-२७९१३३४७, २७९१३८९० फैक्स : २७९१२६१७ मूल्य ६०० रु.

ग्राम स्वराज के दीक्षार्थी की मार्गदर्शिका

यह पुस्तक पंचायती राज द्वारा गुजरात में ग्राम स्वराज निर्मित करने हेतु विगत कुछ समय से गुजरात लोक समिति द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है उसे वैचारिक बल प्रदान करने हेतु प्रकाशित की गई है। इस आंदोलन का उद्देश्य विकेंद्रित आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था निर्मित करना है। यह पुस्तक पंचायतों द्वारा ऐसी व्यवस्था करने के बारे में विगतवार जानकारी प्रदान करती है। पुस्तक में निम्न प्रकरण हैं :

(१) अपना संविधान (२) ग्राम स्वराज (३) स्वराज याने क्या?(४) प्रास्ताविक (५) गांवों के देश में गांव ही विस्मृत (६) ग्राम सभा

(७) हमारा आंदोलन (८) ग्राम सभा के सशक्तिकरण के समक्ष अवरोध (९) अन्य राज्यों में ग्राम सभा की स्थिति (१०) ग्राम स्वराज अधिकारों का घोषणा-पत्र (११) ग्राम स्वराज किसलिए? (१२) प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी का पत्र (१३) ग्रामीण विकास मंत्री वैकेया नायडू का पत्र (१४) केंद्र सरकार ने क्या सिफारिश की - केंद्र सरकार का पत्र (१५) पंचायत की सत्ता का अपहरण (१६) ग्रामसभा का प्रस्ताव कैसे करायेंगे? (१७) ग्रामसभा का प्रस्ताव (१८) ये रघुकुल के वचन नहीं, समझे!

यह पुस्तक मुख्य रूप से ग्राम सभा को तमाम प्रशासनिक अधिकार सौंप कर ग्राम स्वराज लाने की विधि बताती है। विशेष रूप से इसमें दिये गए तीन पत्र बताते हैं कि ग्रामसभा को क्या-क्या अधिकार देने चाहिए व इस संबंध में केंद्र सरकार क्या मानती है। वे यह बताते हैं कि ग्राम सभा शासन व्यवस्था में सबसे नीचे का और सबसे महत्वपूर्ण अंग बननी चाहिए। इस संदर्भ में ग्राम सभा, ग्राम स्वराज और देश का संविधान जिस तरह परस्पर संलग्न है उस तथ्य को बहुत ही अच्छे ढंग से इस पुस्तक में समझाया गया है।

लेखक : श्री चुनीभाई वैद्य और श्री रमेश शाह। प्राप्ति स्थान : गुजरात लोक समिति, लोक समिति कम्पाउन्ड, लाल दरवाजा, अहमदाबाद ३८० ००१. फोन : २५५११७६० मूल्य १० रु.

पृष्ठ 26 का शेष भाग

(२) अलग-अलग चीजें खरीदने के लिए अलग-अलग समय धक्के खाने पड़ते हैं।

(३) बी.पी.एल. कार्ड के लिए अर्जी दी जाती है, पर कार्ड नहीं दिया जाता।

(४) जिनको वाकई बी.पी.एल. कार्ड देना चाहिए, उन्हें नहीं दिया जाता और जिनको नहीं देना चाहिए उनको दिया जाता हैं।

(५) सरकार के द्वारा जो मात्रा निर्धारित की गई है, उस मात्रा में दुकानदार वस्तुएं नहीं देते।

(६) बी.पी.एल. कार्ड गलत तरीके से ए.पी.एल. कार्ड बना दिये गए हैं।

यह सार्वजनिक सुनवाई और सम्मेलन 'लोक अधिकार मंच' द्वारा उपर्युक्त चार तहसीलों में किए गए एक व्यापक सर्वेक्षण के संदर्भ में आयोजित किया गया था। मध्याह्न भोजन योजना, आंगनवाड़ी योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में यह सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। इस सर्वेक्षण के कुछेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

(१) लगभग ३० शालाओं में पेयजल की व्यवस्था नहीं है।

(२) ७३ में से ६६ शालाओं में रसोईघर नहीं है।

(३) ३१ शालाओं में मात्र बघार दिया हुआ भात ही परोसा जाता है।

(४) ३ शालाओं में मध्याह्न भोजन परोसा ही नहीं जाता।

(५) १० शालाओं में कुछ दिन ही भोजन दिया जाता है।

(६) ७ गांवों में आंगनवाड़ी केन्द्र बंद है।

(७) ११ गांवों में आंगनवाड़ी केंद्र कुछ दिन ही खुलता है।

(८) ८० गांवों में आंगनवाड़ियों में गुड़-खांड-चने नहीं दिये जाते।

(९) अंत्योदय योजना के अधीन १९ प्रतिशत परिवारों को कम चावल, १७ प्रतिशत परिवारों को कम गेहूं और ४ प्रतिशत परिवारों को कम केरोसिन प्रदान किया जाता है।

(१०) ७ प्रतिशत बी.पी.एल. परिवारों को कम चावल, ३ प्रतिशत को कम गेहूं और १२ प्रतिशत को कम केरोसिन राशन की दुकानों से मिलता है।

(११) ५४ प्रतिशत अंत्योदय परिवारों के कार्ड में चावल हेतु, ५२ प्रतिशत परिवारों के कार्ड पर गेहूं हेतु और ३ प्रतिशत परिवारों के कार्ड में केरोसिन हेतु गलत एंट्री की जाती है।

(१२) अंजार तहसील में २२.१ प्रतिशत अंत्योदय कार्ड वालों और ६४.९ प्रतिशत, बी.पी.एल कार्ड वालों के कार्ड में गलत एंट्री का अनुभव हुआ है।

सम्पर्क : 'प्रयास', ६० मारुतिनगर, यादवनगर के पास, मेघपर, अंजार, जि. कच्छ ३७० ११०, गुजरात।

विगत तीन माह के दौरान 'उन्नति' द्वारा निम्न प्रकार की प्रवृत्तियां हाथ में ली गई थीं :

अप्रैल-जून २००५ का त्रैमासिक विवरण जब लिखा जा रहा है तब गुजरात अभूतपूर्व बाढ़ से ग्रस्त है। नौ जिलों में भारी नुकसान हुआ है और इसके कारण ८००० गांवों के ढाई लाख निवासियों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। पहली वर्षा २६ जून को आई और सप्ताह भर तक निरंतर वर्षा होती रही। 'उन्नति' ने स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों, सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित किया है। राहत कार्य में सहायता प्रदान करने के अलावा यही समय है जब उन विकास के व्यवहारों के सवाल उठाये जाते हैं जो इस प्रकार की विपत्ति की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं।

(१) सामाजिक समावेश और सक्षमता

दलितों का संगठन और समन्वय

राजस्थान में बाड़मेर और जोधपुर जिलों के ७५ गांवों में दलितों के अधिकारों और संगठन के बारे में 'स्वाभिमान यात्रा' निकाली गई थी। 'दलित अधिकार अभियान' द्वारा निकाली गई ३७ दिनों की इस यात्रा का आरंभ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ८ मई से हुआ था और अंबेडकर जयंती १४ अप्रैल को वह पूर्ण हुई थी। इस यात्रा के दौरान लगभग २०,००० ग्रामवासियों में दलित अधिकारों के मुद्दों पर जागृति फैलाई गई थी और उन्होंने इस अभियान के लिए २०,००० रु. का योगदान भी दिया था। 'दलित अधिकार अभियान' दलितों पर अत्याचारों और जमीनें कब्जे करने संबंधी मामले नियमित रूप से हाथ में लेता है। इन तीन महिनों की अवधि में सरकारी योजनाओं के द्वारा ४८ बीघे जमीन मुक्त कराई गई है जिससे ८० परिवारों को लाभ मिला है। अहमदाबाद की 'सफर' संस्था की सुश्री सोफिया खान के सहयोग से 'दलित अधिकार अभियान' में शामिल शेरगढ़ के 'जय भीम शिक्षण संस्थान', बाड़मेर के 'लोक कल्याण संस्थान' और सिणधरी के 'प्रयास संस्थान' हेतु महिलाओं संबंधी नीति तैयार की गई।

जल सुरक्षा प्रयास का तीसरा चरण पूरा हुआ और बाड़मेर जिले के ९ गांवों में वर्षा के जल को संग्रह करने संबंधी व्यवस्था ३४२ घरों में पूरी कर ली गई। पश्चिमी राजस्थान के पांच जिलों में पाकिस्तान से आये निर्वासितों को नागरिकता देने हेतु शिविरों का आयोजन किया गया और सरकार ने लगभग १२००० लोगों को नागरिकता प्रदान की।

विकलांगता के संबंध में नागरिक प्रतिभाव

अनेक प्रकाशन प्रकाशित किये गए और विशेष रूप से गुजरात में विविध शुभचिंतकों में उसका प्रचार-प्रसार किया गया। बड़ौदा जिले हेतु विकलांग सेवाओं की एक डाइरेक्टरी २७.५.२००५ को 'युनाईटेड वे ऑफ बड़ौदा' द्वारा आयोजित एक समारोह में लोकार्पित की गई।

भूकंपग्रस्तों का पुनर्वास

भचाऊ में बनियारी गांव में विपत्ति से मुकाबले संबंधी समुदाय आधारित तैयारी का कार्य हाथ में लिया गया। वोंध गांव में छह स्थानों पर भी यही किया गया। इसी योजना के आधार पर भुजपुर, बंधड़ी, अमसर, नेर और लुणवा गांवों में यह काम हाथ में लिया गया है।

१७५ परिवारों को गृह निर्माण हेतु सहयोग दिया गया। उन्हें अपना मकान बनवाने हेतु सरकारी नीति के अनुसार प्रथम किस्त मिली थी। ६७ और घरों में निर्धारित नीति के अनुसार मकान निर्माण पूरा किया गया ताकि उनके मालिकों को मकान निर्माण हेतु दूसरी व तीसरी किस्त मिल सके।

भचाऊ तहसील के १२ मोहल्लों में दो-दिवसीय कसीदाकारी कला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गए थे। उनमें २३४ महिलाओं ने भाग लिया था। स्वयं-सहायता समूहों में कसीदाकारी करने वाली महिलाओं को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। इन तीन महीनों के दौरान आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में १२४ महिलाओं ने भाग लिया था।

(२) नागरिक नेतृत्व और शासन

पंचायतों और ग्राम सभा की क्षमता वृद्धि

गुजरात में ग्राम सभा की सत्ताओं को पुनर्जीवित करने के लिए साबरकांठा के गैर-सरकारी संगठनों की एक-दिवसीय बैठक आयोजित की गई। वे पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने अंचलों में इस अभियान को आगे बढ़ाने हेतु तैयार करेंगे। नागरिक नेताओं की शासन के विषय में क्षमता बढ़े, इस हेतु ७ से ९ अप्रैल २००५ के मध्य साबरकांठा जिले के गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए व प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तदुंपरात जिले की चार तहसीलों में नागरिक नेताओं को अधिक सक्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक न्याय समितियों को मजबूत करने हेतु अहमदाबाद और साबरकांठा जिलों में नौ नेटवर्क्स बनाए गए हैं। अहमदाबाद जिले में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के दो नेटवर्क्स गठित किये गए हैं। इन नेटवर्क्स की मासिक बैठकें नियमित रूप में आयोजित की जाती हैं। वे स्थानीय समस्याओं को हाथ में लें, इसके लिए उन्हें मदद दी जाती हैं। निर्वाचित महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु मुख्य प्रशिक्षकों की एक हैंडबुक पंचायती राज संबंधी 'राजीव गांधी फाउन्डेशन' के कार्यदल के साथ तैयार की गई है। गुजरात के संदर्भ में यह मोडयूल अपनाया गया है और २४ से २६ मई २००५ के मध्य प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया गया था। बी.एस.एस., केयर, एम.एस.ए., वास्मो और जी.वी.टी. समेत अनेक गैर-सरकारी संगठनों को उनके कार्यकर्ताओं को शासन के विषय में अभिमुख बनाने हेतु सहयोग प्रदान किया गया था।

राजस्थान में २००५ के आरंभ में आयोजित पंचायती चुनावों के बाद राज्य सरकार ने तीनों स्तरों की तमाम पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों हेतु क्षमता वृद्धि का राज्य व्यापी प्रयास किया। 'उन्नति' ने इस प्रयास में अन्य अनेक गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग साधा। 'उन्नति' की टुकड़ियों ने आई.जी.पी.आर.एस. द्वारा २३ से ३० अप्रैल के मध्य आयोजित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लिया। तदुपरांत 'उन्नति' ने प्रधानों व तहसील विकास अधिकारियों की तथा जिला प्रशिक्षक टुकड़ी का प्रशिक्षण जोधपुर जिले में प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया। इन टुकड़ियों ने बाद में ६१२ सरपंचों व २९०३ पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण दिया। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में साक्षरता प्रसार हेतु विशेष अभियान शुरू किया गया। प्राथमिक शिक्षा और विशेष रूप से बालिकाओं के शिक्षण की जरूरत के संबंध में एक दिवसीय अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शालाओं में बालिकाएं भर्ती हों, इस हेतु समुदाय के स्तर पर जागृति उत्पन्न करने का प्रयास हुआ और 'मीना' फिल्म दिखाई गई। पंचायत संदर्भ केंद्रों द्वारा प्राथमिक शालाओं के काम पर नजर रखी गई। इस हेतु तहसील पंचायतों का सहयोग लिया गया। साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम में भी प्राथमिक शिक्षण और शालाओं में बालिकाओं के प्रवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

शहरी स्थानीय संस्थाओं की क्षमता वृद्धि

२२-२३ जून को गुजरात और राजस्थान के शासन क्षेत्र के कार्यक्रम की समीक्षा 'प्रिया' के डॉ. राजेश टडंन के सहयोग से हाथ में लिया गया। गुजरात में धोलका, साणंद, अंजार और भचाऊ नगरपालिकाओं में बुनियादी सेवाओं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर देखरेख करने हेतु विचार किया गया। धोलका के नागरिक नेताओं हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कड़ी नगरपालिका हेतु ठोस कचरा संचालन की एक प्रायोगिक परियोजना ईपीजी और सीमेग के सहयोग से तैयार की गई। ठोस कचरा संचालन हेतु योजना

का मसौदा तैयार किया गया। वहीं जन सहभागिता के साथ 'स्वच्छता अभियान' हाथ में लिया गया। कर्नाटक राज्य के ठोस कचरा संचालन के अनुभव की बात भी की गई और इसके आधार पर ठोस कचरा संचालन की योजनाओं हेतु एक तंत्र तैयार किया गया। बावला और खेड़ब्रह्मा नगरपालिकाओं हेतु भी ऐसे ही प्रयास किए गए हैं। इन नगरों की वर्तमान परिस्थिति के अध्ययन हेतु एक तंत्र तैयार किया गया है। मुख्य रूप से इन सूचनाओं में से तकनीकी व वित्तीय समस्याएं सामने आई हैं। अब तीसरे चरण में प्रत्येक नगरपालिका स्वयं अपनी योजना तैयार करेगी। सीमेग और 'साथ' के सहयोग से साबरकांठा जिले की छह नगरपालिकाओं हेतु पानी व सफाई के बारे में एक कार्यशाला आयोजित की गई।

विगत दो माह के दौरान अहमदाबाद और बड़ौदा में गटर साफ करते समय बहुत सफाई कर्मचारी मारे गए। उसने मात्र उनके काम की स्थिति के बारे में ही नहीं वरन् हमारे जीवन के भी आधारभूत प्रश्न खड़े किये हैं। इन प्रश्नों पर चर्चा हेतु आयोजित कई बैठकों में हमने भाग लिया था।

राजस्थान के बिलाड़ा शहर में सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने हेतु देखरेख के सतत प्रयास हो रहे हैं। इससे उसमें कमी आई है। नगर के वाल्मीकि समुदाय की एक बैठक आयोजित की गई और इस प्रथा के अंत संबंधी प्रक्रिया पर बातें हुईं। इसके अलावा इस हेतु भी प्रयत्न किये गए कि सरकारी योजनाओं का लाभ दुर्बल समुदायों को मिले, रिपोर्ट कार्ड के परिणामों के बारे में तथा सेवाओं में सुधार हेतु नगरपालिका के साथ संवाद शुरू किया गया है।

'चरखा' की प्रवृत्तियां

महिला और भूमि स्वामित्व तथा आदिवासी स्वशासन के विषयों के साथ लेखन कौशल की दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त विकासपरक विषयों पर लेख लिखने, पेयजल की समस्या के बारे में कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के बीच संवाद आयोजित करने, जामनगर जिले के सागरतटीय इलाकों की समस्याओं के बारे में और गुजरात के खेत मजदूरों की स्थिति के बारे में भी ऐसे संवाद आयोजित किए गए। 'उन्नति' द्वारा प्रकाशित 'पंचायत जगत' को तथा एकेआरएसपी द्वारा प्रकाशित 'खाराश संवाद' को सम्पादकीय सहयोग प्रदान किया गया।

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: unnatiad1@sancharnet.in

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान

फोनः 0291-2642185, फैक्सः 0291-2643248 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइनः रमेश पटेल, उन्नति **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद. फोन नं. 079-55612967

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।